vishikhamedia@gmail.com
विभिन्न विषयों पर आधारित राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका
RNI No. RAJHIN/2019/77486

_vishikhamedia/ vishikhamedia/

मूल्यः 25 रूपये

vishikhamedia vishikhamedia.in

तीर निशाने पर

वैशिखा

वर्ष: 06 अंक :9 सितम्बर 2024 पृष्ठ:32

राजस्थान संस्करण

अजमेर ब्लैकमेल कांड

32 साल बाद फैसला, 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

विशिखा

न्यूज़ 24x7

आपकी बात, आपके साथ

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

तीर निशाने पर

विशिखा

अब डिजिटल एडिशन में भी उपलब्ध

www.vishikhamedia.in

अंदर

अजमेर ब्लैकमेल कांड

32 साल बाद फैसला, 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

100 से जयादा लड़कियों के साथ गैंगरेप, रईसजादों ने लड़कियों की नग्न तस्वीरें की वायरल, 6 लड़कियों ने किसा सुसाइड 06

10 आखिर कब तक चलेगा रूस-यूक्रेन के बीच युद्ध

12 फर्जी कॉल आए तो कर सकते हैं चक्षु पर शिकायत

14 भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास और प्रोत्साहन के लिए उठाए जा रहे कदम
भारत दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा कार बाजार है। और निकट भविष्य में शीर्ष तीन देशों में से एक बनने की क्षमता रखता है। यहां वर्ष 2030 तक लगभग 40 करोड़ ग्राहक को मोबिलिटी समाधान की आवश्यकता होगी।

16 भारत-पाक विभाजन के दर्द को बयां करता दिल्ली का विभाजन संग्रहालय

18 मूर्तियां तोड़ते-तोड़ते कहीं फिर पाकिस्तान न बन जाए, बांग्लादेश

20 यूपी के माननीय क्यों नहीं चाहते हैं अंग्रेजों के बनाये नजूल भमि कानून में बदलाव

20 वक्फ बोर्ड की आड़ में जमीन कब्जाने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी

विशिखा
तीर निशाने पर

अंक: 09 वर्ष:06, सितम्बर 2024

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
प्रियल श्रीवास्तव
सम्पादक
अनिल कुमार श्रीवास्तव
डिजाइन
देवेन्द्र नेगी, उत्तराखण्ड

विशिखा
तीन निशाने पर...

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक **अनिल कुमार श्रीवास्तव** द्वारा **भास्कर प्रिंटिंग प्रेस, डी.बी. कॉर्प लिमिटेड** शिवदासपुरा, टोंक रोड़, जयपुर से छपवाकर एवं **विशिखा मीडिया** 191/56 (जानकी देवी स्कूल के पास) सेक्टर–19, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर– 302033 राजस्थान के लिए प्रकाशित

पाठकों से अनुरोध है कि पत्रिका मे प्रकाशित सामग्री के विषय मे अपनी प्रतिक्रियाएं एवं सुझाव अवश्य भेजें। अपनी प्रतिक्रियाएं एवं सुझावों को आप हमें vishikhamedia@gmail.com पर ई–मेल भी कर सकते हैं।
लेखकों से निवेदन है कि कृपया अपनी स्व–लिखित एवं मौलिक रचनायें ही भेजें। रचनाओं के साथ अपना पूरा नाम, पता, मोबाइल नंबर, ई–मेल एवं फोटो अवश्य भेजें। रचनाओं के छापने या न छापने का अधिकार संपादकीय मंडल का होगा। अस्वीकृत रचनायें लौटाई नहीं जाएंगी।
पत्रिका मे प्रकाशित सभी लेख एवं रचनाओं में संपादक की सहमति हो, यह आवश्यक नहीं है। पत्रिका मे प्रकाशित आलेख एवं रचनायें लेखकों के निजी विचार हैं। प्रकाशित सामग्री के उपयोग करने से पूर्व में संपादक की लिखित सहमति आवश्यक है।
’किसी भी तरह के विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर (राजस्थान) होगा।
’पत्रिका मे प्रकाशित कुछ चित्र, लेख एवं आंकड़ो को इन्टरनेट एवं अन्य वेवसाइट से लिया गया है।

विशिखा न्यूज़ 24x7
आपकी बात, आपके साथ

सम्पादक की कलम से

अनिल कुमार श्रीवास्तव

देश को आजाद हुए 78 साल हो गए, पर विचारणीय प्रश्न ये है कि इन 78 सालों में हमने क्या खोया और क्या पाया। निःसंदेह हमने जो कुछ भी पाया, उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है हमारे देश के उन वीर जवानों को, अपनी जान जोखिम में डालकर...

क्या हम वास्तव में आज़ाद हैं... नहीं चाहिए मुझे ऐसी आज़ादी, जहाँ एक महिला घर से अकेले निकलने में अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। बच्चियों को कोख में ही मार दिया जाता है। कुछ लोग भूख से मर जाते हैं तो कुछ इलाज़ के अभाव में अपना दम तोड़ देते हैं। पुरुष प्रधान समाज उस स्त्री/नारी जिसे हम देवी का स्वरूप मानते हैं, उसके ऊपर अत्याचार करने से बाज नहीं आता है। सही मायने में आज़ादी का अमृत महोत्सव उस दिन मनेगा, जिस दिन हर बेटी हर नारी अपने आप को इस समाज में सुरक्षित महसूस करेगी। और ये तब संभव होगा, जब देश का हर नागरिक शिक्षित हो जाएगा।

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं सहित...

पाकिस्तान में उधार लेकर घर खर्च चला रहे हैं लोग

आर्थिक संकट गहराया

पाकिस्तान में आम जनता को अपने खर्चे पूरे करने के लिए या तो उधार लेकर काम चलाना पड़ रहा है या फिर वे पार्ट टाइम नौकरी करने को मजबूर हो रहे हैं।

पाकिस्तान में आर्थिक संकट लगातार गहराता जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की खुद को बड़ी ताकत समझने की खुशफहमी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पाकिस्तान अभी भी भारत में घुसपैठ को बढ़ावा दे रहा है और वहीं इस्राइल के खिलाफ ईरान को सैन्य मदद देने पर भी विचार कर रहा है। पाकिस्तान खुद को अरब दुनिया का रहनुमा समझता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर अरब देशों के सामने भीख के लिए हाथ फैलाने में भी उसे शर्म नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान पर यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है कि श्घर में नहीं हैं दाने, अम्मा चली भुनानेश। अब एक ताजा रिपोर्ट में पता चला है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ रही है और वह कंगाली के कगार पर पहुंच गया है।

70 प्रतिशत से अधिक लोगों को घर चलाने में हो रही मुश्किल

पाकिस्तान में हुए एक ताजा आर्थिक सर्वे में पता चला है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। हालात ये हैं कि देश के 74 प्रतिशत लोग अपने मासिक खर्चों को पूरा करने के लिए जूझ रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले ये 14 प्रतिशत ज्यादा है। पाकिस्तान में आम जनता को अपने खर्चे पूरे करने के लिए या तो उधार लेकर काम चलाना पड़ रहा है या फिर वे पार्ट टाइम नौकरी करने को मजबूर हो रहे हैं। सरकार ने एक आर्थिक योजना तैयार की है, लेकिन बढ़ता कर्ज पाकिस्तान का सिर दर्द बढ़ा रहा है।

देश के 40 प्रतिशत लोगों को उधार लेकर चलाना पड़ रहा है घर का खर्च

पाकिस्तान के 11 बड़े शहरों में हजारों लोगों पर जुलाई और अगस्त महीने में एक सर्वे किया गया था। इस सर्वे में पता चला कि मई 2023 में जहां 60 फीसदी लोगों को अपने घरेलू खर्चा चलाने में परेशानी हो रही थी, अब उनकी संख्या बढ़कर 74 प्रतिशत हो गई है। 60 प्रतिशत लोगों को अपने घरेलू खर्चों में कटौती करनी पड़ी है। वहीं 40 प्रतिशत लोग उधार लेकर अपना परिवार पाल रहे हैं। 10 प्रतिशत लोगों ने अपने खर्च चलाने के लिए पार्ट टाइम नौकरी करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के 56 प्रतिशत लोग कोई बचत नहीं कर पा रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की माली हालत कैसी है। पाकिस्तान के लोगों की खर्च की क्षमता में आई कमी, महंगाई के असर को लेकर भी एक सर्वे किया जा रहा है। हालात को देखते हुए उसमें भी चौंकाने वाले आंकड़े आने की उम्मीद है। शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली पाकिस्तान सरकार अब संघीय बजट में राज्यों की हिस्सेदारी को 39.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 48.7 प्रतिशत करने की तैयारी कर रही है। पाकिस्तान ने बीते वित्तीय वर्ष में खूब कर्ज लिया है और पाकिस्तान का कर्ज 79,731 अरब पाकिस्तानी रुपये हो गया है। पाकिस्तान ने आईएमएफ के साथ भी सात अरब डॉलर की नई डील की है।

अजमेर ब्लैकमेल कांड

32 साल बाद फैसला, 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

100 से जयादा लड़कियों के साथ गैंगरेप, रईसजादों ने लड़कियों की नग्न तस्वीरें की वायरल, 6 लड़कियों ने किसा सुसाइड

अजमेर में 1992 के अश्लील छायाचित्र ब्लैकमेल कांड में पॉक्सो कोर्ट ने शेष 6 आरोपियों को दोषी माना है. इस मामले में कोर्ट ने 32 साल बाद आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वर्ष 1992 में देश के बहुचर्चित अश्लील छायाचित्र ब्लैकमेल कांड के मामले में शेष रहे 6 आरोपियों को मंगलवार को पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 ने दोषी माना है. अदालत ने 208 पेज के फैसले में सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी को 5–5 लाख रुपए के आर्थिक दंड से भी दंडित किया है. बता दें कि प्रकरण में कुल 18 आरोपी थे. इनमें से 1 आरोपी फरार है. वहीं, एक आरोपी पूर्व में आत्महत्या कर चुका है. शेष आरोपियों को प्रकरण में सजा हो चुकी है. बचाव पक्ष के वकील अजय वर्मा ने बताया कि पॉक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट संख्या 2 ने प्रत्येक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपियों को 5–5 लाख रुपए के आर्थिक दंड से भी दंडित किया है. प्रकरण को लेकर बचाव पक्ष की ओर से इसी प्रकरण में पूर्व में अन्य आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से दी गई 10 वर्ष की सजा का हवाला दिया गया था, लेकिन कोर्ट ने बचाव पक्ष की दलील को नहीं माना. वर्मा ने बताया कि छह आरोपियों में से इकबाल भाटी की अंतरिम जमानत के लिए अर्जी लगाई गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है. उन्होंने बताया कि फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जाएगी. फिलहाल सभी छह आरोपियों सैयद नफीस चिश्ती, इकबाल भाटी, सलीम चिश्ती, सोहेल गनी, जमीर और नसीम उर्फ टार्जन को कोर्ट ने जेल भेज दिया है. बता दें कि इससे पहले यह सभी 6 आरोपी जमानत पर थे. वहीं, यह आरोपी पूर्व में जेल में भी रह चुके हैं. इनमें सैयद नफीस चिश्ती 8 साल, मुंबई निवासी इकबाल भाटी साढ़े 3 वर्ष, सोहेल गनी 4 वर्ष, जमीर (जेल में नहीं रहा), नसीम 7 वर्ष और सलीम चिश्ती 7 वर्ष जेल में रह चुका है. बहुचर्चित अश्लील छायाचित्र ब्लैकमेल कांड में आरोपियों के खिलाफ सजा सुनाए जाने के वक्त कोर्ट में लोगों की भीड़ जमा हो गई. कोर्ट का फैसला जानने के लिए लोग काफी उत्सुक नजर आए. डीवाईएसपी रूद्रप्रकाश, सिविल लाइन थाना प्रभारी छोटू लाल, क्रिश्चियन गंज थाना प्रभारी अरविंद चारण, महिला थाना प्रभारी विद्या समेत

कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी को 5–5 लाख रुपए के आर्थिक दंड से भी दंडित किया है. बता दें कि प्रकरण में कुल 18 आरोपी थे। इनमें से 1 आरोपी फरार है. वहीं, एक आरोपी पूर्व में आत्महत्या कर चुका है।

दर्जनों पुलिस कर्मी कोर्ट में मौजूद रहे. सजा सुनाए जाने के बाद आरोपियों के मुंह उतरे हुए थे. आरोपियों में मुख्य आरोपी सैयद नफीस चिश्ती सिर झुकाकर जा रहा था, जबकि कुछ आरोपी अपना मुंह छुपाते हुए नजर आए. आरोपियों को केंद्रीय कारागार जेल में भेजा गया है. अश्लील छायाचित्र ब्लैकमेल कांड के मामले में इशरत, अनवर चिश्ती, शमशु भिश्ती और पुत्तन इलाहाबादी को कोर्ट पूर्व में आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से इन्हें 10 वर्ष की सजा हुई थी. इसी तरह मामले में मुख्य आरोपी सैयद फारूक चिश्ती को भी 2007 में कोर्ट आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फारूक चिश्ती को 10 साल की सजा सुनाई थी. ब्लैकमेल कांड मामले में वर्ष 2001 में महेश लोधानी, हरीश तोलानी,

कैलाश सोनी और परवेज अंसारी को कोर्ट ने बरी किया था. प्रकरण में आरोपी अलमास महाराज अभी भी फरार है. बताया जा रहा है कि अलमास महाराज प्रकरण में नाम आने के बाद से ही अमेरिका भाग गया था, जहां उसने अमेरिका की नागरिकता भी हासिल कर ली है. फरारी के बावजूद भी उसके खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश हो चुका है, लेकिन उस पर फैसला अभी तक नहीं हुआ. यह था अश्लील छायाचित्र ब्लैकमेल कांडरू अजमेर में यूथ कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष फारुख चिश्ती, उसका साथी नफीस चिश्ती और उसके गुर्गे स्कूल और कॉलेज की लड़कियों को शिकार बनाते थे. फार्म हाउस और रेस्टोरेंट में पार्टियों के नाम पर छात्राओं को बुलाकर उन्हें नशीला पदार्थ पिलाकर सामूहिक दुराचार किया जाता. इस दौरान उनके अश्लील फोटो खींच लिए जाते था. इसके बाद इन अश्लील फोटो के आधार पर लड़कियों से अन्य लड़कियों को लाने के लिए मजबूर किया जाता था. यानी एक शिकार से दूसरे शिकार को फंसाया जाता था. प्रकरण दर्ज होने से पहले कुछ लड़कियां हिम्मत कर पुलिस के पास गईं थी, लेकिन पुलिस ने उन पीड़िताओं के खाली बयान लेकर उन्हें चलता कर दिया. बाद में उन पीड़िताओ को धमकियां मिलती रही. लिहाजा वह दोबारा पुलिस के सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाईं. इसके बाद लोक लज्जा के डर से कोई सामने आकर पुलिस में शिकायत करने को तैयार नहीं थी. बाद में 18 पीड़िताओं ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में बयान दिए. ऐसे हुआ घिनौने कांड का खुलासा रू सन 1992 में अजमेर के एक कलर लैब से कुछ अश्लील फोटो लीक हो गए. यह फोटो शहर भर में वायरल होने लगे. तब पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अश्लील फोटो की जांच की और इस घिनौने अपराध और षड्यंत्र का भांडा फूट गया. अश्लील छायाचित्र ब्लैकमेल कांड में 100 से ज्यादा लड़कियों के साथ दुष्कर्म हुआ. आरोपियों की गुंडागर्दी और ऊंचे रासुखातों की वजह से प्रकरण दर्ज होने के बाद भी किसी भी लड़की ने सामने आने की हिम्मत नहीं दिखाई. तब पुलिस ने फोटो के आधार पर पीड़िताओं को खोजना शुरू किया. दुष्कर्म और ब्लैकमेल की शिकार हुईं कुछ लड़कियों ने आत्महत्या कर ली. वहीं, कुछ ने चुप्पी साधते हुए शहर ही छोड़ दिया. पुलिस ने मशक्कत करके कुछ पीड़िताओं के बयान दर्ज करवाए और मामले में चालान कोर्ट में पेश की. अश्लील छायाचित्र ब्लैकमेल कांड उस दौर में सामने आया जब अयोध्या में राम जन्मभूमि को लेकर देशभर में सियासत गर्म थी. वहीं, साम्प्रदायिक माहौल बना हुआ था. तब दंगे की आशंका के मद्देनजर भी अजमेर पुलिस ने मामले को लंबित रखा. तत्कालीन समय में भैरू सिंह शेखावत सरकार ने मामले की जांच सीआईडी सीबी को सौंपने का निर्णय लिया. तब इस मामले में पुलिस को मुकदमा दर्ज करना पड़ा. ऐसे हुई अश्लील छायाचित्र ब्लैकमेल कांड की शुरुआतरू राजनीति और धार्मिक स्थल से जुड़े होने के कारण आरोपियों के रसूख ऊंचे थे. वहीं, धनबल की भी उनके पास कमी नहीं थी. एक लड़की को पद और रसोई गैस सिलेंडर का कनेक्शन दिलवाने का लालच देकर शिकार बनाया और उसके जरिए अन्य लड़कियों को फंसाया गया. इतना ही नहीं एक लड़के को भी अश्लील फोटो के जरिए ब्लैकमेल कर उसकी परिचित लड़कियों को शिकार बनाया. इस तरह ब्लैकमेल की शिकार लड़कियों की चेन काफी लंबी होती गई. मगर आरोपियों को अंजाम तक पहुंचाने की हिम्मत 18 पीड़िताएं ही जुटा पाईं. प्रकरण से संबंधित फोटो सार्वजनिक होने के बाद से शहर में लड़कियों के आत्महत्या करने की कई घटनाएं हुईं. सीधे तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि उनका इस प्रकरण से जुड़ाव था, क्योंकि न तो वह कोई सुसाइड नोट छोड़कर गईं और न ही उनके परिजनों ने कोई प्रकरण के संबंध में बयान दिए. मगर इतना जरूर था कि जिन लड़कियों ने सुसाइड किए थे, उसकी कोई वजह सामने नहीं आई. पुलिस की गलती पीड़िता के लिए बनी वेदनारू अश्लील छायाचित्र ब्लैकमेलकांड में 100 से अधिक स्कूल और कॉलेज की छात्राएं ब्लैकमेल और दुष्कर्म का शिकार हुई थी. इनमें से आरोपियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की हिम्मत केवल 16 पीड़िताओं ने दिखाई. आरोपियों को सजा तक पहुंचाने के लिए पीड़िताओं को भी काफी वेदना झेलनी पड़ी. इसका कारण पुलिस की ओर से अलग–अलग चार्जशीट आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में पेश करना था. पहले चार्जशीट आठ आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने पेश की थी. इसके बाद चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश हुई. आरोपी गिरफ्तार होते गए उसी तरह से उनके खिलाफ प्रकरण शुरू से चलता गया और पीड़िताओं को भी हर बार बयान देने के लिए कोर्ट में आना पड़ता था. दादी नानी बन चुकी पीड़िताओ के लिए यह वेदना उनके साथ हुई घिनोनी घटना से भी अधिक पीड़ादायक थी. कोर्ट के फैसले से मिली कुछ राहत रू कोर्ट से आरोपियों को सजा होने के बाद एक पीड़िता का कहना था कि आरोपियों ने उनकी जिंदगी तबाह कर दी. उनके साथ आरोपियों ने दुराचार किया उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती. उन्होंने कहा कि कोर्ट के इस फैसले से कुछ राहत जरूर मिली है. उन्होंने यह भी कहा कि कोर्ट का यह फैसला उन लोगों के लिए सबक होगा जो दूसरे की बहन बेटियों पर गंदी नजर रखते हैं. अभियोजन पक्ष की ओर से 245 दस्तावेज, 104 गवाह और 22 आर्टिकल पेश किए गए थे, जिनके आधार पर कोर्ट ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. प्रकरण में कुल 18 आरोपी थे. इनमें से 4 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया था, जबकि 5 आरोपियों को कोर्ट से सजा हो चुकी है. शेष 6 आरोपियों को अजमेर की पॉक्सो की विशेष कोर्ट संख्या दो ने सजा सुनाई है. इनमें सैयद नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, सैयद सलीम चिश्ती, सोहेल गनी, सैयद जमीर हुसैन और इकबाल भाटी शामिल है।

वीरेंद्र सिंह
विशिष्ट लोक अभियोजक, अभियोजन विभाग

अब धरती के स्वर्ग में खरीदें घर, एनबीसीसी श्रीनगर में बना रही है टाउनशिप

धरती पर स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू-कश्मीर की हसीन वादियों में अब आपका अपना घर हो सकता है. चिनाब और झेलम नदी से कुछ ही कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एनबीसीसी एक टाउनशिप बनाने जा रही है।

अगर आपका मन दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में रहने से ऊब चुका है। आप दिल्ली से पांच से छह घंटे की दूरी पर कोई नया ठिकाना तलाश रहे हैं तो यह मौका आपके लिए सबसे बढ़िया है। जम्मू–कश्मीर के श्रीनगर में झेलम और चिनाव नदी के नजदीक आपको सस्ती दरों पर प्लॉट, मकान, दुकान और फ्लैट मिल सकता है। दरअसल, सार्वजनिक क्षेत्र की कंस्ट्रक्शन कंपनी एनबीसीसी को जम्मू–कश्मीर के श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी से 15,000 करोड़ रुपये का एक टाउनशिप बनाने का आर्डर मिला है। श्रीनगर में कश्मीर की वादियों में और चिनाब और झेलम नदी से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एनबीसीसी एक टाउनशिप बनाने जा रही है। यह टाउनशिप अगले पांच सालों में बनकर तैयार हो जाएगी। इस टाउनशिप में प्लॉट और फ्लैट्स के साथ–साथ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी होंगे। एनबीसीसी के चेयरमैन केपी महादेवस्वामी ने न्यूज 18 हिंदी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में इस प्रोजेक्ट से जुड़ी कई अहम जानकारियों को साझा किया है। श्रीनगर विकास प्राधिकरण (एसडीए) और एनबीसीसी के बीच राख गुंड अक्ष, बेमिना, श्रीनगर में सैटेलाइट टाउनशिप लगभग 406 एकड़ जमीन पर यह प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। पहले चरण में जमीन की प्लॉटिंग की जाएगी। इसमें रिहायशी भूखंड, लक्जरी विला, अपार्टमेंट परिसर, वाणिज्यिक कार्यालय, एक इनडोर स्टेडियम और आधुनिक सुविधाओं के साथ 200 फाइव स्टार रिसॉर्ट बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट में तकरीबन 3,200 फ्लैट्स भी बनाए जाएंगे, जो काफी सस्ती दरों पर मिलेंगे।

एनबीसीसी ने शेयर किया प्लॉट और फ्लैट्स के दाम

एनबीसीसी के चेयरमैन केपी महादेवस्वामी ने कहा कि देखिए यह प्रोजेक्ट मीडिल क्लास को ध्यान में रखकर ही बनाया जाएगा। यह प्रोजेक्ट 2025 के शुरुआत से शुरू हो जाएगा। 2–3 महीने में हमलोग कंसल्टेंट अपॉइंटमेंट करेंगे फिर टेंडर जारी होगा। इसकी बुकिंग ऑनलाइन शुरू की जाएगी। साल 2025 के आखिर में प्लॉट्स बेचना शुरू कर देंगे। कई कैटेगरी में प्लॉट बांटे गए हैं। पहले, प्लॉट्स बनाकर बेचेंगे, फिर कमर्शियल प्लॉट्स बेचेंगे। पूरा प्रोजेक्ट पांच साल में पूरा होगा। लेकिन, एक साल के अंदर प्लॉट का डिलवरी शुरू कर देंगे।' महादेवस्वामी आगे कहते हैं, 'सड़क बनाने और बिजली पहुंचाने का काम पहले पूरा होगा। जहां तक फ्लैट्स की बात है एनबीसीसी कुछ फ्लैट्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बनाएगी। आप पीएम आवास योजना के तहत इन फ्लैट्स पर 2.50 लाख रुपये तक सब्सिडी ले सकते हैं. श्रीनगर विकास प्राधिकरण के साथ एनबीसीसी की बातचीत चल रही है। अगर आप यहां प्लॉट खरीदते हैं तो आपको 2000 रुपये प्रति स्क्वायर फीट रेट लगेंगे। अगर आप अपार्टमेंट में फ्लैट्स खरीदते हैं तो रेट 6000 प्रति स्क्वायर फीट से शुरू होगा।'

मौका हाथ से निकला तो जिंदगीभर पछताएंगे

महादेवस्वामी कहते हैं, 'दिल्ली में फ्लैट्स के रेट का वन थर्ड भी श्रीनगर में नहीं है। शुद्ध हवा, चिनाव और झेलम के बीच घर इससे कम कीमत पर कहां मिलेगा? देखिए, दिल्ली में तो 30000–40000 स्क्वायर फीट और नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 15000–20000 स्क्वायर फीट जमीन का रेट चल रहा है। लेकिन, यहां हमलोग रेट कम रखे हैं। हमलोग तीन रूम बेडरूम का फ्लैट्स लगभग 1700 से 2000 स्क्वायर फीट में बनाने वाले हैं।' महादेवस्वामी कहते हैं, 'एलआईजी फ्लैट्स तकरीबन 400–500 स्क्वायर फीट का होगा। एमआईजी फ्लैट्स तकरीबन 1000 स्क्वायर फीट से 1200 स्क्वायर फीट का होगा। वहीं, एचआईजी फ्लैट्स तकरीबन 1700 से 2000 स्क्वायर फीट के अंदर होगा। इन फ्लैट्स की कीमत 30 लाख रुपये से लेकर सवा करोड़ रुपये तक होगी। जहां तक प्लॉट की बात है। यह 45 मीटर, 100 मीटर और 200 मीटर का कटे प्लॉट में मिलेंगे।'

बता दें कि एनबीसीसी भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के अधीन आने वाली एक पीएसयू नवरत्न कंपनी है। इस कंपनी में केंद्र सरकार की 61.75 प्रतिशत हिस्सेदारी है. घरेलू संस्थागत निवेशकों के पास 9.48 फीसदी, विदेशी निवेशकों के पास 4.43 फीसदी और आम पब्लिक के पास 24–34 फीसदी का स्टेक है।

इराक में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से घटाकर 9 साल करने का बिल संसद में पेश

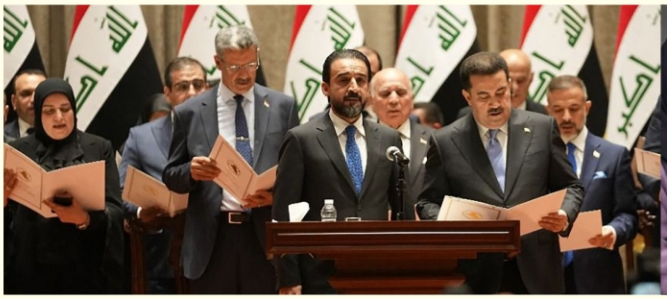

इस कानून के तहत लड़कियों की शादी अब 9 साल की उम्र में ही कर दी जाएगी। वो भी एक 15 साल के लड़के से। हालांकि इस बिल में लड़कों की उम्र की कोई सीमा नहीं दी गई है।

भारत में शादी की उम्र 18 साल है। हालांकि अब इसे 21 साल करने की मांग उठाई जा रही है। इससे संबंधित एक याचिका को बीते साल सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि, दुनिया के दूसरे कई देशों में शादी की उम्र बढ़ाई जाने की मांगे उठाई जा रही है। उम्र के बंधन की सीमा सिर्फ लड़कियों के लिए ही नहीं बल्कि लड़कों के लिए भी है। लेकिन एक तरफ जहां दुनिया भर में शादी की उम्र में बढ़ोतरी को लेकर के मांग उठ रही है, तो वहीं एक मुस्लिम देश ऐसा है, जिसने अपने देश की संसद में लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने की बजाय घटाने का बिल पेश किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 से घटाकर 9 साल करने की पेशकश इस देश की संसद में हुई है। इस देश के फैसले को लेकर सिर्फ महिलाएं और महिलाओं के संगठन ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय संगठन से लेकर दुनिया के कई देश और बड़ी–बड़ी हस्तियां भी विरोध जाता रही हैं। यह देश कौन है और इसने यह फैसला क्यों लिया है यह हम आपको बता रहे हैं।

क्यों लिया जा रहा है यह फैसला?

लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से घटकर 9 साल करने वाला यह देश इराक है। जी हां, इराक की संसद में एक नया बिल पेश किया गया है इस नए बिल के तहत लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से घटकर मात्र 9 साल की जा रही है। हालांकि यह विधेयक अभी पास नहीं हुआ है लेकिन इसके पेश करने से ही पूरे देश और दुनिया में बवाल बच गया है। इस बिल के मुताबिक लड़कियों की शादी 9 साल की उम्र में ही 15 साल के लड़के से की जा सकती है। इराक में लड़कियों की शादी की उम्र के बंधन को लेकर मचे इस बवाल के पीछे इराक की कट्टर राजनीतिक पार्टियां है। क्योंकि इराक की शिया इस्लामिस्ट पार्टी इराक के पर्सनल लॉ में संशोधन करने में जुटी हुई हैं। ये संशोधन इराक के 1959 के व्यक्तिगत स्थिति कानून (कानून संख्या 188) में किया जा रहा है। जिससे महिलाओं की आजादी पर लगाम लगाई जा सके और वह पूरे देश में पूरी तरह से अपने शरिया कानून को लागू कर सकें।

क्या था पहले कानून में?

दरअसल ये इस्लामी पार्टी इराक के जिस कानून में संशोधन करने की पेशकश कर रही है, उसमे मुताबिक इराक में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल तय की गई थी वहीं पुरुषों को भी एक पत्नी होने के बाद दूसरी शादी का अधिकार नहीं है।

अब क्या होगा नए कानून में?

इराक की संसद में पेश इस बिल की पैरवी रूढ़िवादी शिया इस्लामवादी पार्टियों के गठबंधन ने की है। इन्हें इराक का सबसे बड़ा सियासी दल माना जाता है। इसलिए इस दल के दिए गए फैसले का प्रभाव पूरे देश पर पड़ता है क्योंकि यही कानून बन जाता है। इस बिल में तय किए गए प्रावधानों के मुताबिकः

- शादीशुदा जोड़े को सुन्नी या शिया संप्रदाय के बीच चुनना होगा।
- शादी कोर्ट के अलावा शिया और सुन्नी समुदाय के आधिकारिक कार्यालय में भी हो सकती है।
- नए कानून में विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने के नियम हैं।
- लड़कियों की शादी 9 साल की उम्र में होगी और 15 साल के लड़के के साथ होगी।

अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से लेकर भड़के सेलिब्रिटी

इराक की संसद में पेश इस बिल को लेकर अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से लेकर भारत के भी बड़े–बड़े सेलिब्रिटीज ने नाराजगी जताई है। इस मुद्दे पर इराक के महिला संगठन और मानवाधिकार आयोग समेत अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने नाराजगी जताई है और इराक से इस फैसले पर विचार करने को कहा है। दूसरी तरफ कई सेलिब्रिटीज ने भी इस पर चिंता जताई है। दंगल फिल्म एक्ट्रेस फातिमा सना शेख ने भी इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी जाहिर है। उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट पर एक खबर का लिंक शेयर करते हुए लिखा कि यह क्या हो रहा है यह बहुत भयानक है थोड़ी समझदारी रखें।

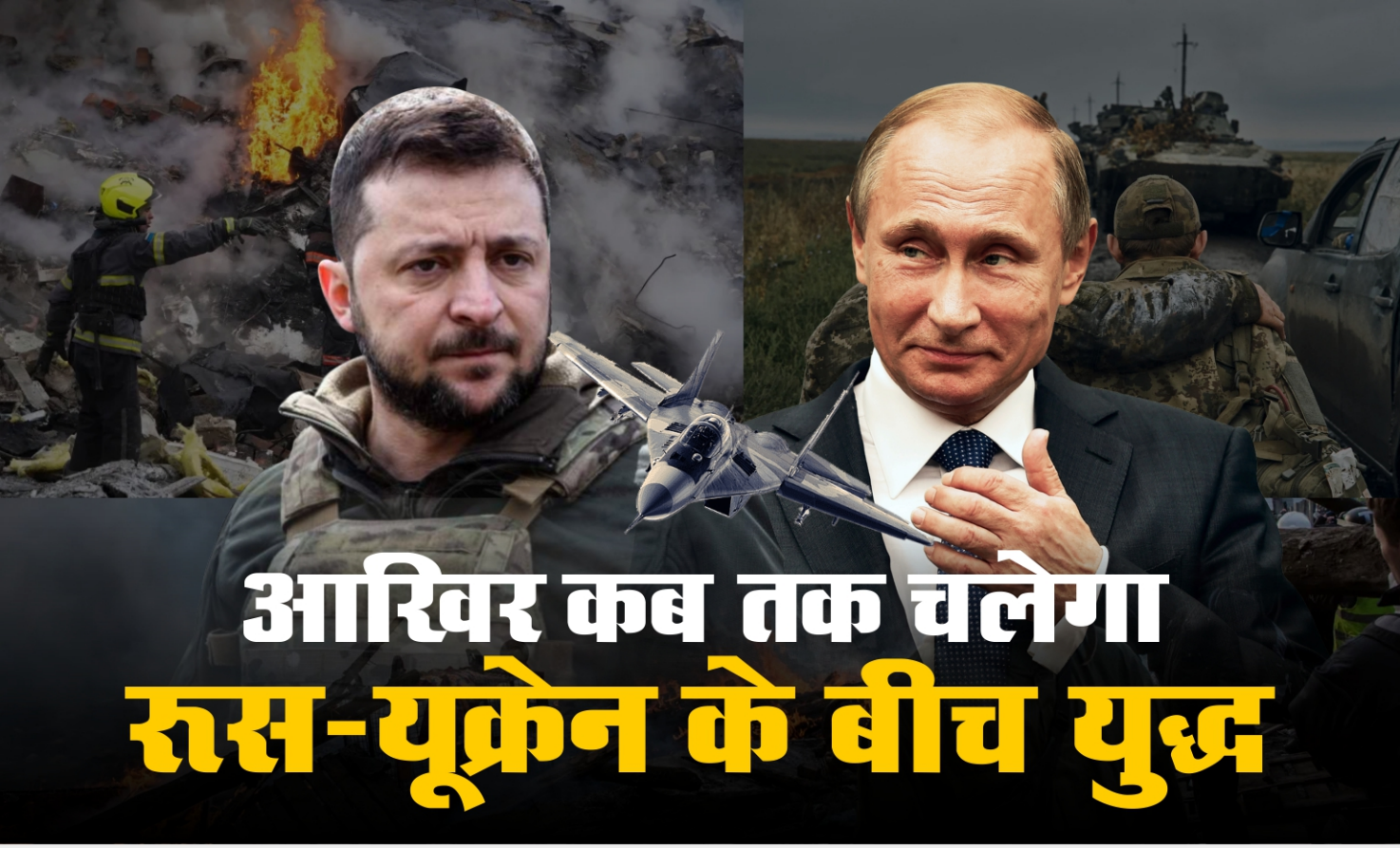

आखिर कब तक चलेगा रूस-यूक्रेन के बीच युद्ध

युद्ध के विस्तार से रूस और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन दोनों परमाणु शक्तियों के बीच सीधे टकराव का जोखिम भी बढ़ गया। यानी जहां सब का मानना था कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे इस युद्ध का अंत जल्द ही हो जाएगा उसकी कोई भी आशंका नजर नहीं आ रही है अब यह युद्ध लगातार बढ़ते जा रहा है।

रशिया और यूक्रेन संघर्ष को एक से भी ज्यादा समय गुजर चुका है। लेकिन फिर भी विश्व के कई क्षेत्रों में तनाव बढ़ाने के संकेत हैं। दोनों पक्ष का यह मानना था कि यह एक तीव्र और कम समय तक चलने वाला युद्ध होगा जो कि गलत साबित हुआ। पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को कई सारे उन्नत हथियारों की आपूर्ति की इससे इस संघर्ष में उनकी भागीदारी और भी गहरी होती गई। रूसी राष्ट्रपति कहां चुप बैठने वाले थे उन्होंने यूक्रेन में हजार किलोमीटर लंबी सीमा रेखा निर्माण के साथ रूस की स्थिति को मजबूत कर दिया और अपनी सेवा को और भी ज्यादा सशक्त किया। युद्ध के विस्तार से रूस और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन दोनों परमाणु शक्तियों के बीच सीधे टकराव का जोखिम भी बढ़ गया। यानी जहां सब का मानना था कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे इस युद्ध का अंत जल्द ही हो जाएगा उसकी कोई भी आशंका नजर नहीं आ रही है अब यह युद्ध लगातार बढ़ते जा रहा है।

रूस यूक्रेन को पूर्व और दक्षिण उत्तर पूर्व में सारखिव से लेकर पूर्व में डोनबास से दक्षिण पश्चिम में काला सागर बंदरगाह शहर उड़ीसा तक आधिपत स्थापित कर इस देश को एक भू अवध क्षेत्र में परिवर्तित करना चाहता था। रुस यहां मॉस्को के अनुकूल शासन भी स्थापित करना चाहता था परंतु रुस इनमें से किसी भी लक्ष्य को पूरा करने में सफल नहीं रहा। फिर भी रूस ने मारियो पाल सहित यूक्रेनी क्षेत्र के पर्याप्त हिस्से पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन में रूस का क्षेत्र मार्च 2022 में चरम पर था जब उसने वर्ष 2014 से पहले के यूक्रेन के लगभग 22: हिस्से पर नियंत्रण कर लिया था। यूक्रेन ने खारकीव और खेरसोंन में कुछ भूमि पर पुनः कब्जा कर लिया। अभी भी यूक्रेन के लगभग 17 प्रतिशत हिस्से पर रूस का नियंत्रण है। बाकी के कई भागों पर अभी भी सीमावर्ती क्षेत्र पर लड़ाई जारी है।

पश्चिम की प्रतिक्रिया

संयुक्त राज्य अमेरिका यूक्रेन का सबसे बड़ा सहायक प्रदाता है इसमें 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की सैन्य और वित्तीय सहायता का वादा किया। यूरोपीय संघ ने 37 बिलियन डॉलर का वादा किया और यूरोपीय संघ के देशों में ब्रिटेन और जर्मनी सूची में शीर्ष पर है। यूक्रेन को सैन्य उपकरण प्रदान करने का दृष्टिकोण हालांकि रूसी प्रगति को रोकने में प्रभावित रहा है जबकि रूस को आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाना एक दो धारी तलवार के समान रहा है। तेल एवं गैस के शीर्ष वैश्विक उत्पादकों में प्रतिबंधों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को पूरी तरह प्रभावित किया जिससे पश्चिम में विशेष रूप से यूरोप में मुद्रास्फीति का संकट गहरा गया। इससे रूस को भी आघात लगा लेकिन उसने एशिया में ऊर्जा निर्यात के लिए अपने

वैकल्पिक बाजार खोज लिए। जिसने वैश्विक ऊर्जा निर्यात परिदृश्य का पुनर निर्धारण हुआ। वर्ष 2022 में प्रतिबंधों के बावजूद रूस ने अपने तेल उत्पादन में दो प्रतिशत के वृद्धि की और तेल निर्यात में 20: की वृद्धि हुई। रूसी अर्थव्यवस्था में वर्ष 2023 में 2: की गिरावट का अनुमान लगाया गया था लेकिन आईएमएफ के अनुसार इसके वर्ष 2023 में 0.3 प्रतिशत और वर्ष 2024 में 2.1 प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद है।

क्या बातचीत के जरिए समाधान हो सकता है?

यदि बातचीत के जरिए समाधान हो सकता तो अब तक हो चुका होता क्योंकि दोनों पक्षों ने मार्च 2022 में संभावित शांति योजना के बारे में कई मसौदा का आदान प्रदान किया था लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन ने यूक्रेन के रशिया के साथ किसी भी समझौते पर पहुंचने का कड़ा विरोध किया और इसलिए वार्ता विफल हो गई। जुलाई 2022 में तुर्की ने काला सागर के माध्यम से रूसी और यूक्रेन खदान की निकासी पर एक सौदा किया जिसे ब्लैक सी ग्रीन पल के रूप में जाना जाता है इसके अलावा युद्ध पक्ष कुछ कैदी विनिमय समझौता पर पहुंचे थे। इन्हें छोड़कर दोनों पक्षों के मध्य वार्तालाप ना के बराबर हुई। रूस अपने विशेष सैन्य अभियान की धीमी प्रगति के बावजूद अधिक है। जेलांसकी की ने कहा कि वह रूस के साथ क्षेत्रीय समझौता करने वाले किसी भी समझौते पर मध्यस्थता नहीं करेगा।

युद्ध ने भू राजनीति को किस प्रकार नया रूप दिया?

युद्ध में यूरोप अमेरिका सुरक्षा गठबंधन को फिर से सक्रिय कर दिया नाटो ने स्वीडन और फिनलैंड के प्रस्ताव अंतर्वेशन के लिए अपने द्वार खोल दिए और एक बार रूस के खिलाफ गठबंधन की नई सैया सीमाओं का निर्माण किया। रूस और पश्चिम के मध्य विश्वास की कमी अब तक के उच्चतम स्तर पर है अमेरिका के नेतृत्व वाला गठबंधन यूक्रेन में हथियारों की आपूर्ति कर रहा है हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति यूक्रेन की सभी मांगों को स्वीकार नही कर रहे हैं जिसमें 16 सहित लड़ाकू विमान की मांग शामिल है शायद अमेरिकी राष्ट्रपति युद्ध के व्यापक होने के जोखिम के प्रति सचेत हैं।

मास्को ने वर्ष 2022 में चीन के साथ अपनी दोस्ती को असीमित घोषित किया था लेकिन चीन भी अपने यूरोप के साथ संबंधों को खतरे में नहीं डालना चाहता है। चीन ने रूस को हथियार में योगदान नहीं दिया और परमाणु युद्ध के खिलाफ अपनी आपत्ति भी व्यक्त की हालांकि अमेरिका और यूरोप रूस को चीनी हथियारों की आपूर्ति के बारे में अभी भी चिंतित हैं।

भारत की स्थिति

यूक्रेन युद्ध सामरिक स्वायत्तता का अभ्यास करने का एक अवसर रहा है। भारत ने तटस्थता अपनाते हुए वैश्विक शांति का समर्थन करते हुए मास्को रूस के साथ अपने संबंध बनाए रखा है। भारत ने रूस से तेल खरीदने हेतु पश्चिमी प्रतिबंधों के वातावरण में काम किया भारत रूस से 25 प्रतिशत तेल की खरीद कर रहा है जो पहले दो प्रतिशत से भी कम थी। भारत हाल ही में एक प्रस्ताव से अनुपस्थित रहा था, जिसमें रूस को अपने क्षेत्र से हटाने के लिए कहा गया क्योंकि प्रस्ताव में स्थाई शांति स्थापित करने के लक्ष्य की कमी थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन संकट पर अब तक हुए तीन बार के मतदान में भारत सभी में अनुपस्थित रहा लेकिन अगर युद्ध जारी रहता है तो पश्चिमी गठबंधन भारत पर सही पक्ष का समर्थन करने हेतु दबाव बढ़ा सकते हैं।

फर्जी कॉल आए तो कर सकतें है चक्षु पर शिकायत,

जानें कैसे है लाभदायक?

दूरसंचार विभाग ने चक्षु पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे फर्जी कॉल और मैसेज की ऑनलाइन शिकायत कर पाएंगे। इन दिनों फ्रॉड वॉट्सऐप मैसेज और कॉल में इजाफा दर्ज किया जा रहा है, जिसके खिलाफ सरकारी पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करके फ्रॉड करने वालों को जेल पहुंचा सकते हैं।

जैसे–जैसे दुनिया डिजिटलीकरण के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है साइबर हमलों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है, और भारत इन खतरों से अछूता नहीं है। अक्टूबर 2023 में अमेरिकी कंपनी रिस्क सिक्योरिटी ने उजागर किया कि भारतीयों के निजी डेटा डार्क वेब पर उपलब्ध हैं, खबरों की भीड़ में इसे नजरअंदाज करना आसान होता लेकिन डाटा के आकार और संवेदनशीलता ने तुरंत इस और ध्यान आकर्षित किया। इस डाटा सेट का विकृत 55 प्रतिशत भारतीय आबादी की सत्यापन योग्य संवेदनशील सूचना प्रदान करने का दावा कर रहा था।

इन सूचनाओं में लोगों के नाम, फोन नंबर, आधार नंबर, पासपोर्ट नंबर और पता जैसे व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारियां मिली। मात्र 80 हजार अमेरिकी डॉलर पर इस डाटा की बिक्री की जा रही थी। सक्रिय हुई दिल्ली पुलिस ने 18 दिसंबर को इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार भी किया था। इन्हीं मामलों को देखते हुए साइबर अपराधों की शिकायत के लिए दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संचार साथी पोर्टल पर चक्षु और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफार्म यानी क्ष्च लॉन्च किया। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण जयपुर के एडिशनल डीजी ऑफिस राजस्थान में किया गया था। दोनों प्लेटफार्म साइबर अपराधों पर दोहरी ताकत से रोक लगा सकते हैं।

चक्षु पोर्टल से होगा फर्जी कॉल की समस्या का निदान

चक्षु पोर्टल दूरसंचार विभाग द्वारा संचालित आधिकारिक संचार साथी वेबसाइट पर उपलब्ध है। व्हाट्सएप, एसएमएस और कॉल पर फर्जी मैसेज के कारण बढ़ती साइबर धोखाधड़ी को ध्यान में रखते हुए चक्षु पोर्टल पर नागरिकों को वित्तीय घोटाला, फर्जी ग्राहक सहायता, फर्जी नौकरी से संबंधित आने वाले कॉल्स, एसएमएस, व्हाट्सएप मैसेज जैसे समस्याओं की कंप्लेंट की जा सकती है। आईटी और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि चक्षु पोर्टल सरकार को साइबर अपराध और घोटाले में लिप्त अपराधियों पर लगाम लगाने में मदद करेगा, उन्होंने कहा कि यदि नागरिकों को किसी भी अज्ञात संदेश या कॉल पर थोड़ा सा भी संदेह महसूस हो तो वह उनकी जानकारी पोर्टल पर निशुल्क दे सकते हैं। मंत्री ने आगे बताया डी ओ टी ने दुर्भावना पूर्ण गतिविधियों के कारण पिछले 9 महीने में एक करोड़ से अधिक फोन नंबर काट दिए हैं ताकि लोगों को होने वाले साइबर क्राइम से बचाया जा सके।

व्हाट्सएप एसएमएस या किसी अन्य माध्यम पर किसी भी संदिग्ध मैसेज की रिपोर्ट करने के लिए आधिकारिक संचार साथी वेबसाइट ॅदबींतेंजी.हवअ.पद पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते है। शिकायत दर्ज करना अत्यंत ही आसान है 500 अक्षरों में शिकायत को दर्ज की जा सकती हैं साथ ही कुछ निजी जानकारी देकर जैसे नाम फोननंबर के द्वारा शिकायत दर्ज की जा सकती है।

साईबर हमलों की संख्या बढ़ी

भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की एक बड़ी और बढ़ती आबादी पाई जाती है जहां वर्ष 2022 में 52ः से अधिक आबादी या 760 मिलियन लोग माह में कम से कम एक बार इंटरनेट का उपयोग कर रहे थें। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन बाजार है साथ ही कई एक्सपर्ट्स के

द्वारा यह घोषणा की गई है कि 2025 तक यह संख्या बढ़कर 900 मिलियन होने की उम्मीद है। भारत में तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था स्वास्थ्य सेवा शिक्षा की खुदरा और कृषि जैसे क्षेत्र ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एवं सेवाओं पर ही निर्भरता रखते हैं।

भारत की पुरानी पड़ चुकी या अपर्याप्त साइबर सुरक्षा अब संरचना नीतियों और जागरूकता हैकर्स के लिए सिस्टम में अंतराल एवं कमजोरी का लाभ उठाना आसान बनाती है यह कारण है कि भारत को राज्य प्रायोजित और गैर राज्य अभिकर्ताओं की ओर से परिष्कृत एवं नियमित रूप से साइबर खतरों का सामना करना पड़ता है जो भारत के रणनीतिक आर्थिक एवं राष्ट्रीय हितों को निराशा बनाते हैं।

साईबर हमलें दे रहें है चुनौतियां

भारत के महत्वपूर्ण अब संरचना जैसे की पावर ग्रिड परिवहन प्रणाली एवं संचार नेटवर्क साइबर हमलों के प्रति संवेदनशील है जो आवश्यक सेवाओं को बाधित कर सकते हैं और सार्वजनिक संरचना एवं राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में भी डालते हैं। अक्टूबर 2019 में कुंडल कुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर साइबर हमले का प्रयास किया गया था और इस हमले ने लोगों को अचंभित कर दिया। साइबर हमलों से वित्तीय क्षेत्र को भी बहुत बड़ी मात्रा में जोखिम का सामना करना पड़ता है। बैंक वित्तीय संस्थानों और ऑनलाइन भुगतान प्रणालियों पर साइबर हमले से वित्तीय हानि पहचान की चोरी और वित्तीय प्रणाली के प्रति भरोसे की कमी जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण मार्च 2020 में देखने को मिला जब सिटी यूनियन बैंक के स्विफ्ट सिस्टम पर एक मालवेयर हमले के कारण 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अधिकृत लेनदेन हुआ। गोपनीयता संबंधी चिंताएं भी साइबर हमले के कारण बढ़ती जा रही हैं। जैसे–जैसे भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ रहा है ऑनलाइन संग्रहित व्यक्तिगत एवं सरकारी डाटा की मात्रा भी बढ़ रही है इस डाटा उल्लंघन का खतरा भी बढ़ने लगा है जहां हैकर्स संवेदनशील जानकारी तक पहुंच बनाते है, और उसे लीक भी करते हैं। उल्लंघनों से व्यक्तियों और संगठनों की गोपनीयता एवं सुरक्षा के लिए गंभीर परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मई 2021 में कॉमन एडमिशन टेस्ट 2020 के 190000 उम्मीदवारों की व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी एवं परीक्षा परिणाम को लेकर सभी डाटा लीक कर दिए गए थे और साइबर क्राइम फोरम पर बिक्री के लिए उपलब्ध करा दिए गए थे।

साइबर जासूसी भी अन्य देशों या संस्थाओं की जासूसी करने या उनके हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए साइबर हमले का उपयोग करने की एक प्रक्रिया है। अन्य देशों की तरह भारत भी साइबर जासूसी गतिविधियों के निशाने पर है जो गोपनीय जानकारी चुराने और राजनीतिक बढ़त हासिल करने का उद्देश्य रखती है साइबर जासूसी भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा विदेश नीति और आर्थिक विकास को भी प्रभावित कर सकती है। एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट के बढ़ते मामले भी चौंकाने वाले हैं। एडवांस परसिस्टेंट थ्रेड जटिल एवं दीर्घकालिक साइबर हमले हैं जो आमतौर पर संसाधन संपन्न और कुशल समूह द्वारा अंजाम दिए जाते हैं। यह हमले लक्ष्य के नेटवर्क में घुसपैठ करने और लंबे समय तक छिपे रहने के लिए डिजाइन किए गए होते हैं जिससे उन्हें डाटा चोरी करने या हेर फेर करने या क्षति पहुंचाने का भी अवसर मिलता है। एडवांस परसिस्टेंट थ्रेड का पता लगाना और उसका मुकाबला करना अत्यंत कठिन है क्योंकि वह सुरक्षा उपयोगी से बचने के लिए उन्नत तारीख तकनीक और उपकरणों का उपयोग करते हैं।

साइबर सुरक्षा परिदृश्य में सुधार के लिए भारत में कई पहले भी नीति अपनाई गई है। जैसे राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, साइबर सेल एवं साइबर अपराध जांच इकाइयां, साइबर क्राइम रिपोर्टिंग प्लेटफार्म आदि। चक्षु पोर्टल के द्वारा भी यह उम्मीद की जा रही है कि भारत में बढ़ती साइबर क्राइम को रोका जाए। इसके अलावा भारत को अपने मानव एवं तकनीकी संसाधनों को विकसित करने साइबर सुरक्षा से उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने सर्वोच्चतम अभ्यासन एवं मानकों को अपने और विभिन्न एजेंसियों एवं क्षेत्र के बीच सहयोग एवं सूचना साझेदारी को बढ़ावा देने में अधिक निवेश करने की आवश्यकता है।

इसी क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए दूरसंचार विभाग ने साइबर क्राइम और स्पैम कॉल को रोकने के लिए चक्षु प्लेटफार्म की शुरुआत की है। चक्षु का इस्तेमाल नागरिकों के द्वारा फ्रॉड या फिर स्पैम कॉल को रिपोर्ट करने के लिए किया जा सकता है। डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म एक इंटर एजेंसी है जो साइबर अपराधिक डाटा को बैंक को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और वॉलेट ऑपरेटर को आदि के साथ साझा करने में अहम भूमिका निभाएगा। फर्जी कॉल या व्हाट्सएप्प कॉल या एसएमएस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराकर उसे पर जांच की जाएगी। अतः भारत को एक मजबूत नियम और कानून बनाने की जरुरत है जिस से की वह इन साईबर हमलों से बच सके।

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास और प्रोत्साहन के लिए उठाए जा रहे कदम

भारत दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा कार बाजार है। और निकट भविष्य में शीर्ष तीन देशों में से एक बनने की क्षमता रखता है। यहां वर्ष 2030 तक लगभग 40 करोड़ ग्राहक को मोबिलिटी समाधान की आवश्यकता होगी। हालांकि पेरिस समझौता के तहत निर्धारित लक्षण को ध्यान में रखते हुए ऑटोमोबाइल ग्राहकों की बढ़ती संख्या का परिणाम पारंपरिक ईंधन की खपत में वृद्धि के रूप में सामने नहीं आना चाहिए।

भारत के शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्रताप की दिशा में सकारात्मक विकास दर निश्चित करने के लिए भारत में एक परिवहन क्रांति की आवश्यकता है जो बेहतर मोबिलिटी, बेहतर रेलवे और सड़कों के साथ बेहतर सार्वजनिक परिवहन और बेहतर कारों की ओर ले जाएगी। इन बेहतर कारों में से कई के इलेक्ट्रिक होने की संभावना है। हाल में आटोमोटिव पेशेवर और लोगों के बीच एक समान रूप से सहमति बनी है कि वाहनों का भविष्य इलेक्ट्रिक होने में ही निहित है। हालांकि इस परिप्रेक्ष्य में भारत द्वारा अभी बैटरी निर्माण चार्जिंग संरचना की स्थापना आदि कई विषयों में वृहत कार्य करना शेष है।

इलेक्ट्रिक वाहन का भारत में विकास

इलेक्ट्रिक वाहनों पर अधिकाधिक बल देना वैश्विक जलवायु एजेंडा से प्रेरित है। ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने के लिए कार्बन उत्सर्जन को कम करने हेतु पेरिस समझौता के तहत इस एजेंडा को आगे बढ़ाया जा रहा है। वैश्विक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्रांति वर्तमान में इलेक्ट्रिक वाहनों के तेज विकास के संदर्भ में परिभाषित की जाते हैं। आपको बता दें वर्तमान में बिक्री की जा रही प्रत्येक 100 कारों में से दो इलेक्ट्रिक है और वर्ष 2020 में इलेक्ट्रिक वाहनों के विक्रेता 2.1 मिलियन तक पहुंच चुके थे। वर्ष 2020 में वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 8 मिलियन थी जो वैश्विक वहां स्टॉक के एक प्रतिशत और वैश्विक कार्य बिक्री के 2.6 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं। बैटरी लागत में आ रही गिरावट और प्रदर्शन क्षमता में वृद्धि भी वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग को बढ़ा रही है। इसमें कोई दो रह नहीं है कि भारत को एक परिवहन क्रांति की आवश्यकता है। महंगे आयातित निधन से संचालित कारों की संख्या को और बढ़ाया जाना और अब संरचनात्मक बढ़ाओ एवं तीव्र वायु प्रदूषण से पहले से ही पीड़ित अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले शहरों को और अव्यवस्थित किया जाना संवाहनीय या व्यवहारिक नहीं है। इसके अलावा परिवहन क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की और ट्रांजिशन वर्तमान युग की आशावादी वैश्वीकरण नीति भी अपनानी जरूरी है।

इलेक्ट्रिक वाहनों को भारत का समर्थन

भारत उन गिने–चुने देशों में शामिल है जो वैश्विक मअ30/30 अभियान का समर्थन करते हैं जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक नए वाहनों की बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी को कम से कम 30: करना है। ग्लासगो में आयोजित कॉप 26 में जलवायु परिवर्तन शमन के लिए भारत द्वारा पांच तत्वों जिसे पंचामृत कहा गया की वकालत इसी दिशा में जताई गई प्रतिबद्धता है। ग्लासगो शिखर सम्मेलन में भारत द्वारा कई प्रतिबंधिताएं चटाई गई जिसमें भारत की 50: ऊर्जा आवश्यकताओं को अक्षय ऊर्जा से पूरा करना वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को एक बिलियन टन तक काम करना और वर्ष 2017 तक शुद्ध शून्य लक्ष्य प्राप्त करना शामिल है। भारत सरकार ने देश में म्ट पारितंत्र के विकास और प्रोत्साहन के लिए कई उपाय किए जैसे पुनर्गठित प्रेम योजना आपूर्ति करता पक्ष के समर्थन हेतु उन्नत रसायन विज्ञान सेल के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना और इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माता के लिए हाल ही में शुरू की गई ऑटो और आटोमोटिव घटकों के लिए चस्प् योजना।

चुनौतियां

आंकलन किया गया है कि वर्ष 2020 से 30 तक भारत की बैटरी की सचाई मांग लगभग 900 से 1100 गीगावॉट होगी। किंतु भारत में बैटरियों के लिए एक भी निर्माण आधार की अनुपस्थिति चिंता का विषय बनी है क्योंकि बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए पूर्णता आयात पर निर्भर रहना पड़ता है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्ष 2021 में एक बिलियन डॉलर से अधिक मूल्य के लिथियम आयन सेल का आयात किया जबकि अभी पावर सेक्टर में इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरी भंडार की पैठ नगण्य ही है।

वर्ष 2018 में भारत में केवल 650 चार्जिंग स्टेशन ही उपलब्ध थे जो पड़ोसी समीक्षक देश की तुलना में पर्याप्त काम है जहां 5 मिलियन से अधिक चार्जिंग स्टेशन संचालित है। चार्जिंग स्टेशनों की कमी के कारण उपभोगकर्ताओं के लिए लंबी दूरी की यात्रा करना अव्यावहारिक

भारतीय बाजार को स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता है जो भारत के लिए रणनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टिकोण से अनुकूल होंगे। चुकी कीमतों को कम करने के लिए स्थानीय अनुसंधान और विकास में निवेश आवश्यक है इसलिए स्थानीय विश्वविद्यालय और मौजूदा औद्योगिक केदो का लाभ उठना विवेक पूर्ण होगा।

हो जाता है। इसके अलावा एक निजी लाइट ड्यूटी स्लो चार्जर का उपयोग कर घर पर वाहन को फुल चार्ज करने में 12 घंटे तक का समय लग जाता है। इसके साथ ही एक बेसिक इलेक्ट्रिक कर की लागत पारंपरिक अर्धांग से संचालित कर की औसत लागत से बहुत अधिक है और इलेक्ट्रिक वाहन के क्षेत्र में इन समस्याओं को आए दिन लोग सामना कर रहे हैं।

भारत बैटरी सेमीकंडक्टर कंट्रोलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के उत्पादन में प्रौद्योगिकी रूप से पिछड़ा हुआ है जबकि क्षेत्र म्ट उद्योग की रीढ़ है। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की सर्विसिंग लागत बहुत अधिक है जिसके लिए उच्च स्तर के कौशल की आवश्यकता होती है और ऐसी कौशल विकास के लिए समर्पित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का भी अभाव देखने को मिलता है।

इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या को बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है?

म्टे समग्र ऊर्जा सुरक्षा स्थिति में सुधार लाने में योगदान देगा क्योंकि देश अपने कच्चे तेल की कुल आवश्यकताओं का 80: से अधिक आयात करता है जो लगभग 100 बिलियन डालर मूल्य का है। अपेक्षा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देना स्थानीय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विद निर्माण उद्योग में रोजगार सृजन के मामले में भी उल्लेखनीय भूमिका निभाएगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न ग्रिड समर्थन सेवाओं के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहन ग्रिड को शुद्ध करने और सुरक्षित एवं स्थिर ग्रेड संचालक को बनाए रखते हुए उच्च नवीनीकरण ऊर्जा प्रवेश को समायोजित करने में भी मदद कर सकेगा।

ई–मोबिलिटी और नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहलुओं को देखते हुए नवीनतम प्रौद्योगिकी व्यवधानों के साथ देश में सतत विकास को बढ़ावा देने में बैटरी भंडार वृहद अवसर प्रदान कर सकता है। प्रति व्यक्ति आय के बढ़ते स्टारों के साथ मोबाइल फोन यूपीएस लैपटॉप पावर बैंक जैसे उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स की मांग तेजी से बढ़ रही है जिनमें उन्नत रसायन बैटरी की आवश्यकता होती है। यह उन्नत बैटरी वन निर्माण को 21वीं साड़ी के सबसे बड़े आर्थिक अवसरों में से एक बनाता है। म्ट चार्जिंग अब संरचना निजिआवासों पेट्रोल और सीएनजी पंप जैसे जानू उपयोग की सेवाओं और माल रेलवे स्टेशनों एवं बस डिपो जैसे वाणिज्य प्रतिष्ठानों की पार्किंग सुविधाओं में स्थापित की जा सकती है। ऊर्जा मंत्रालय ने प्रत्येक तीन गुण 3 ग्रेड के लिए और राजमार्ग के दोनों के नारों पर प्रत्येक 25 किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

भारतीय बाजार को स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता है जो भारत के लिए रणनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टिकोण से अनुकूल होंगे। चुकी कीमतों को कम करने के लिए स्थानीय अनुसंधान और विकास में निवेश आवश्यक है इसलिए स्थानीय विश्वविद्यालय और मौजूदा औद्योगिक केदो का लाभ उठाना विवेक पूर्ण होगा। भारत को यूके जैसे देशों के साथ कार्य करना चाहिए और इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास में सामंजस्य लाना चाहिए।

भारत-पाक विभाजन के दर्द को बयां करता दिल्ली का विभाजन संग्रहालय

दिल्ली के कश्मीरी गेट स्थित बना विभाजन संग्रहालय विभाजन के दौर की तमाम यादों को समेटे हुए हैं. इस संग्रालय में कई चीजें संग्रहित की गई हैं, जो खुद ब खुद विभाजन के दर्द को बयां कर रही हैं।

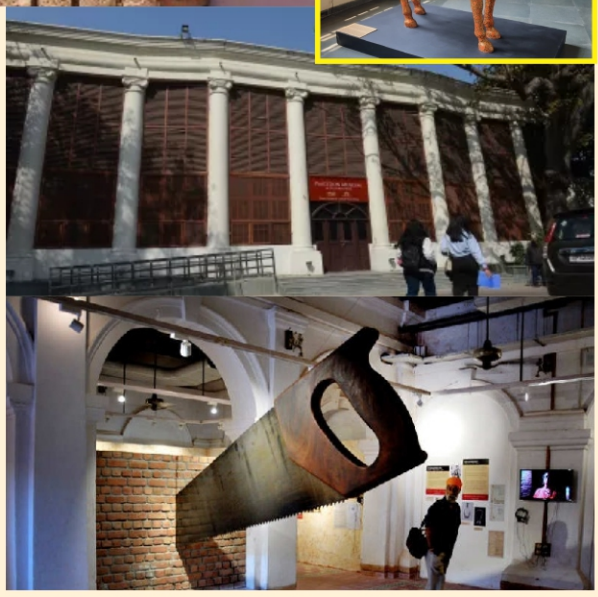

15 अगस्त को देश अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर देश के आजाद होने के साथ–साथ भारत और पाकिस्तान के विभाजन की यादें भी ताजा होती है। बंटवारे के कारण करोड़ों लोग प्रभावित हुए। इस दौरान हुए दंगों में 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। इस विभाजन के दर्द और विभीषिका से मौजूदा पीढ़ी को अवगत कराने के लिए केंद्र सरकार ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में घोषित किया है। विभाजन के दर्द और परिस्थितियों को बयां करने के लिए दिल्ली के कश्मीरी गेट स्थित अंबेडकर विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित दारा शिकोह लाइब्रेरी की बिल्डिंग में एक विभाजन संग्रहालय स्थापित किया गया है। इसमें भारत पाकिस्तान विभाजन के समय की बहुत सारी स्मृतियां को संजोया गया है। संग्रहालय का संचालन द आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज नामक एनजीओ द्वारा किया जाता है।

इसी तरह का एक इससे बड़ा संग्रहालय अमृतसर में भी है। यह देश में इस तरह का दूसरा संग्रहालय है, जो विभाजन की कहानी को बयां कर रहा है। इस संग्रहालय में जो परिवार पाकिस्तान से पलायन करके दिल्ली में आकर बसे थे उन परिवार के सदस्यों ने वहां से विभाजन के समय लाई गई बहुत सारी चीजों को इस संग्रहालय को दान किया है। वह चीजें इस संग्रहालय में संभाल कर रखी गई हैं। साथ ही उन सभी चीजों के महत्व को बताते हुए यहां प्रदर्शित किया गया है. इस विभाजन संग्रहालय का केंद्र दिल्ली है तथा यहां 1947 की घटनाओं के दौरान इस शहर और उसमें रहने वाली शरणार्थी आबादी पर पड़े प्रभाव पर विशेष ध्यान दिया गया है।

यह एक स्मारक है, जो उन लाखों पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को समर्पित है, जो रातों–रात अपना घर अथवा जीवन खो बैठे थे। संग्रहालय में उस समय की शरणार्थी शिविर ट्रेनों से

पाकिस्तान से भारत लौट रहे लोगों के वीडियो शरणार्थी सवेरा में रह रहे लोगों बंटवारे के समय अखबारों में छपी समाचारों और भारत में शरणार्थी के रूप में आए हुए परिवार के सदस्यों के द्वारा बताई गई कहानियों को भी संरक्षित किया गया है। ऑडियो वीडियो के माध्यम से इन कहानियों को देख–सुन सकते हैं और विभाजन के दर्द को समझ सकते हैं।

निशुल्क है संग्रहालय में प्रवेशरू संग्रहालय में आने वाले दर्शकों को विजिट कराने का काम देख रही अभिशक्ता ने बताया कि संग्रहालय में प्रवेश अभी तक निशुल्क है। मंगलवार से लेकर रविवार तक सुबह 10 से पांच बजे तक कोई भी संग्रहालय को देखने के लिए आ सकता है। सोमवार को संग्रहालय बंद रहता है। अभी प्रवेश निशुल्क है लेकिन आने वाले समय में कुछ शुल्क निर्धारित किया जा सकता है। अभी फिलहाल जो भी लोग संग्रहालय में अपनी इच्छा से कुछ दान देना चाहते हैं तो उसके लिए दान पात्र रखा गया है। अभी यह संग्रहालय पूरी तरह से डोनेशन पर ही चल रहा है।

सात गैलरी में विभाजित है संग्रहालयः

संग्रहालय सात गैलरी में विभाजित है। इसकी यात्रा 1900 के दशक में ब्रिटिश राज के बढ़ते प्रतिरोध के साथ शुरू होती है। यहां 1900–1946 की अवधि के महत्वपूर्ण क्षणों पर प्रकाश डाला गया है और 1947 की शुरुआत में भारत के अधिकांश हिस्से को अपनी चपेट में ले लेने वाले अराजकतापूर्ण दंगों को भी वर्णित किया गया है। विभाजन की घोषणा के बाद बंगाल और पंजाब को दो भागों में विभाजित करते हुए, केवल 5 सप्ताह के भीतर सीमाओं का तदर्थ रेखांकन कर दिया गया। इन विभाजनकारी फैसलों के कारण लोगों का जीवन बिखर गया. वे भोजन व आश्रय के बिना अपने घरों से भागकर दोनों देशों के शरणार्थी शिविरों में पहुँचे। विभाजन ने बदल दिया दिल्ली का नक्शारू संग्रहालय में दी गई जानकारी के अनुसार, विभाजन ने दिल्ली के मानचित्र को हमेशा के लिए बदल दिया. राहत और पुनर्वास मंत्रालय की स्थापना 6 सितंबर 1947 को की गई थी। केंद्रीय अनंतिम सरकार ने उपलब्ध खुली जगहों पर सैकड़ों टेंटों का निर्माण किया. स्कूलों और अन्य सार्वजनिक भवनों ने अस्थायी आश्रय प्रदान किए. दिल्ली में सभी बड़े स्मारक और उनके मैदानों, जैसे हुमायूँ का मकबरा, सफदरजंग का मकबरा, पुराना किला और तीस हजारी शरणार्थी शिविरों के रूप में इस्तेमाल किया गया। यह एक जन–केंद्रित संग्रहालय है, जहाँ लाखों असहाय लोगों की कहानियों बयां करने के लिए मौखिक इतिहास, वस्तुओं और तस्वीरों का सहारा लिया गया है।

संग्रहालय में ये हैं विभाजन के समय की चीजें:

सितारू सविता बत्रा के परिवार से संबंधित यह सितार लाहौर पाकिस्तान से राजस्थान तक की यात्रा कर चुका है। सविता अपने पिता को लाहौर और लालपुर में अपने घर में वाद्य यंत्रों का अभ्यास करते हुए देख बड़ी हुई। कई साल बाद दिल्ली में बसे परिवार के साथ सविता ने सितार सीखने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने पाया कि रेखी राम का नाम जो सितार के निर्माता थे सितार के किनारे से जुड़ी एक धातु की प्लेट पर खुदा हुआ था। रिखी राम ने पाकिस्तान से पलायन कर दिल्ली के मध्य जिले कनॉट प्लेस में दुकान स्थापित की थी। मरम्मत के लिए जब सितार उनके सामने पेश किया गया तो रिखी राम स्टोर के मालिक रोमांचित हो गए और ऐसे अभिभूत थे जैसे कि वह एक बिछड़े हुए रिश्तेदार से मिले हों। वर्षों के बाद परिवार की कई पीढ़ियों ने सितार का सम्मान करना और विरासत के रूप में संजो कर उस पर अभ्यास करना जारी रखा. अब इसे संग्रहालय को दान कर दिया गया है।

बिजली का मीटरः बिजली का मीटर प्रियंका मेहता लाहौर में अपनी नानी के पुराने घर गई, और वहां उन्हें यादगार के रूप में एक पुराना बिजली मीटर सौंपा गया। इसे वर्तमान मालिकों इफ्तिखार के परिवार द्वारा सावधानी से रखा गया था, इस सोच में कि कोई सीमा पार से आएगा और हम उसको ये निशानी वापस करेंगे। इसे प्रियंका मेहता ने संग्रहालय को दान किया है।

पहली शरणार्थी कॉलोनी के शिलान्यास में इस्तेमाल कन्नी और परातः 1959 में रिफ्यूजी को–ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के उद्घाटन समारोह के दौरान तत्कालीन प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि सोसाइटी को अब रिफ्यूजी हाउसिंग सोसाइटी नहीं कहा जाना चाहिए। इसकी जगह इसका नाम बदलकर श्पंजाबी बाग कर देना चाहिए। सोसाइटी के उद्घाटन में इसी कन्नी और परात का इस्तेमाल किया गया।

भारत पाकिस्तान संयुक्त पासपोर्ट

इस पासपोर्ट को वर्ष 13 अगस्त 1955 को लखनऊ में हनुमंत सिंह होरा को जारी किया गया था। होरा परिवार ने विभाजन की हिंसा के दौरान पेशावर को भारत के लिए छोड़ दिया, तो उन्होंने आठ चांदी की सिल्लियां सुरक्षित रखने के लिए अन्य कीमती सामानों के साथ जमीन में यह सोचते हुए दफन कर दीं कि वे अंततः घर लौट आएंगे। जब ऐसा नहीं हो सका तो प्रेम सिंह होरा ने सरकारी अधिकारियों के साथ पत्राचार स्थापित किया, उन्हें अपने दो बेटों को दफन किए गए, कीमती सामान को वापस लेने के लिए भेजने की अनुमति दी। पासपोर्ट की वैधता एक वर्ष की थी और 4 अक्टूबर 1955 को, हनवंत सिंह होरा को लाहौर और पेशावर जिले के लिए जारी होने की तारीख से छह महीने की वैधता और तीन महीने से अधिक नहीं रहने की अवधि के साथ एकल–यात्रा वीजा जारी किया गया था. उन्होंने 20 अक्टूबर 1955 को अटारी छोड़ दिया और एक सप्ताह के बाद, वे 27 अक्टूबर 1955 को वाघा के रास्ते भारत लौट आए. पहले स्वाधीनता समारोह का निमंत्रण पत्ररू तत्कालीन कोटा राज्य के बारां नगर में पहले स्वाधीनता समारोह को मनाने के लिए निमंत्रण पत्र छपवाया गया था। 15–16 अगस्त 1947 दो दिनों के कार्यक्रमों का भी उल्लेख किया गया था. इसमें 15 अगस्त की रात को लोगों से पूरे नगर में रोशनी करने और दिन में मंदिरों और मस्जिदों में प्रार्थना कर आजादी मिलने के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए कहा गया था।

मूर्तियां तोड़ते-तोड़ते कहीं फिर पाकिस्तान न बन जाए, बांग्लादेश

अब से तकरीबन 53 साल पहले पूर्वी पाकिस्तान खत्म हो गया था। दुनिया के नक्शे पर वही इलाका बांग्लादेश के नाम से उभरा था। वहां के लोगों का मजहबी यकीन वही रहा। बस जिस कल्चर से दौर जुड़ा हुआ था उसे कायम रखा गया। लड़ाई भी इसी की थी। उस दौर के लोगों ने ये लड़ाई जीत ली। उनकी लड़ाई में हिंदुस्तान उनके साथ चट्टान की तरह खड़ा हुआ था। पाकिस्तान को हरा कर अलग बाग्लादेश बनाया। ये इतिहास है। वर्तमान ये है कि अलग देश बनने बाद भारत ने उससे बहुत गहरे रिश्ते कायम किए। अपने हिसाब से बांग्लादेश तरक्की भी करता रहा। ये अलग बात है कि शेख हसीना की हुकूमत में अंतिम दौर में मुल्क की इकॉनॉमी बिगड़ी. फिर भी जो कुछ अभी बांग्लादेश में किया जा रहा है उससे देश की माली हालत सुधरने की दिशा में जाती नहीं दिख रही। बल्कि जिस तरह की गतिविधियां दिख रही है उससे लग रहा है कि चीन, पाकिस्तान और अमेरिका अपने अपने उल्लू सीधा करने की खातिर हालात का फायदा उठा कर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को अंधेरे कुएं में धकेल देंगे. व्यापार के अलावा भारत बांग्लादेश को बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर की तमाम सुविधाएं देता रहा है। यहां बांग्लादेश में रोशन होने वाली बिजली का एक बड़ा हिस्सा भारत अपने तारों के जरिए वहां भेजता है। देश में अभी भी तमाम भारतीय परियोजनाएं चलती रही है। फिर भी भारत ने कभी बांग्लादेश के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देता रहा। बांग्लादेश की आजादी के बाद कई बार हालात ऐसे हुए कि वहीं के बहुत से प्रभावशाली लोग चाहते रहे कि भारत दखल देकर स्थिति सुधारें भारत ने तटस्थ रहने की नीति का पालन किया।

भलमनसाहत से शांति की अपील

अब वहां के उत्पाती कहे जा सकने वाले नागरिकों के एक हिस्से ने हिंदुओं पर हमले किए. उनके पूजास्थलों में तोड़ फोड़ की। फिर भी भारत सरकार और दूसरे प्रभावशाली समूहों ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार से वहां कानून व्यवस्था कायम करने की अपील भर की। सरकार ने अपने इस पड़ोसी को चेतावनी भी नहीं दी है। इसे भारत की भलमनसाहत के तौर ही देखना चाहिए।

अपने ही सम्मान की निशानी क्यों तोड़ रहे

अब बांग्लादेश में उन मूर्तियों को तोड़ने की खबरें भी आ रही है, जो मुल्क की मुक्ति संग्राम से जुड़ी थी। अचानक तालिबान बन मूर्तियां तोड़ने वालों को याद रखना चाहिए ये उनके अपने सम्मान की भी निशानी थी। आखिर उन्ही सैनिकों की बदौलत पूर्वी पाकिस्तान ने पाकिस्तान से जीत हासिल की थी। एक बार याद दिला देना ठीक होगा कि जनरल नियाजी ने 16 दिसंबर 1971 को भारतीय जनरल जगजीत सिंह के सामने 93 हजार सैनिकों के साथ हथियार डाले थे। दूसरे विश्वयुद्ध के बाद ये सबसे बड़े सैनिक समूह का समर्पण था। इसकी स्मृति में वहां बहुत सारी मूर्तियां बनाई गईं थी। उसे भी उत्पातियों ने तोड़ दिया।

बांग्लादेश में हमेशा से चीन की रुचि रही है

इन घटनाओं से लगने लगा है कि बांग्लादेश के हंगामे में चीन पाकिस्तान और अमेरिका जैसी ताकते शामिल हैं। सामरिक नजरिए से बांग्लादेश में ये तीनों अपनी पैठ कायम करना चाहते हैं। चीन इन्हीं मकसदों की खातिर वहां निवेश भी करता रहा है। हालांकि शेख हसीना की सरकार बेहतर कूटनीति से इससे निपटती रहीं और चीन से जरूरी फायदा भी हासिल करती रही। अब बांग्लादेश की जो सरकार है उसके सामने कानून व्यवस्था कायम करने की चुनौती है। साथ देश की अर्थव्यवस्था को उसे गति भी देनी है। वरना श्रीलंका की बदतर आर्थिक स्थिति को हम देख ही चुके हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की हालत भी सबके सामने है। इस लिहाज से बांग्लादेश को अपने हित के लिए तालिबानी रास्ते से दूर हो जाना चाहिए। मूर्तियां तोड़ने और अल्पसंख्यकों पर हमले करने से किसी को कुछ भी हासिल नहीं हो सकता।

हम साथ लड़े और साथ ही रहेंगे-मोहम्मद यूनुस

मोहम्मद यूनुस ने आंदोलन कर रहे छात्रों से अल्पसंख्यक हिंदुओं, ईसाइयों और बौद्धों को बचाने की अपील करते हुए लोगों से राष्ट्रीय एकता मजबूत करने की भावुक अपील की।

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ अब बांग्लादेश का हिंदू समुदाय और अन्य अल्पसंख्यक लोग एकजुट हो गए हैं। शनिवार को लाखों की संख्या में अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और अपनी एकजुटता दिखाई। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और देश के दूसरे सबसे बड़े शहर चटगांव में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के नेता मोहम्मद यूनुस ने भी अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा के प्रति नाराजगी जताई और इसे घृणित करार दिया। मोहम्मद यूनुस ने आंदोलन कर रहे छात्रों से अल्पसंख्यक हिंदुओं, ईसाइयों और बौद्धों को बचाने की अपील करते हुए कहा कि श्क्या ये हमारे देश के लोग नहीं हैं? आपने देश बचाया तो क्या आप कुछ परिवारों को नहीं बचा सकते?. ..आपको कहना चाहिए कि किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। वे भी हमारे भाई हैं। हम साथ लड़े और हम साथ ही रहेंगे।

शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से ही निशाने पर हैं अल्पसंख्यक

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से अल्पसंख्यकों के खिलाफ देश के 52 जिलों में हिंसा की 205 घटनाएं हो चुकी हैं। इन हिंसा की घटनाओं में सैंकड़ों अल्पसंख्यक घायल हुए हैं और कई के घर–मकान तबाह कर दिए गए हैं। कई हिंदू मंदिरों को भी निशाना बनाया गया है। हिंसा की घटनाओं में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के दो हिंदू नेताओं की भी हत्या कर दी गई है। हजारों की संख्या में हिंदू समुदाय के लोग देश छोड़ने की फिराक में हैं। शनिवार को बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ढाका की सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा करने वाले लोगों के खिलाफ जल्द और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही संसद में 10 प्रतिशत सीटें अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। अल्पसंख्यक सुरक्षा कानून बनाया जाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने कई घंटे तक सड़कें जाम रखीं। इस दौरान कई मुस्लिमों और छात्रों ने भी अल्पसंख्यकों का समर्थन किया।

यूपी के माननीय क्यों नहीं चाहते हैं अंग्रेजों के बनाये नजूल भूमि कानून में बदलाव

नजूल जमीन के लिये कोई ऐसा नया कानून बनें जिसके चलते नजूल की जमीन को कौड़ियों के भाव फ्री होल्ड कराने का खेल बंद हो जाये। इस कानून को लेकर सत्ता पक्ष में मनमुटाव की खबरें आने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तो योगी सरकार को चुनौती तक दे दी वह नजूल जमीन पर नया कानून बना ही नहीं सकते हैं।

अजय कुमार, लखनऊ

देश का कोई भी हिस्सा या राज्य हो वहां पड़ी नजूल की जमीन की स्थिति ठीक वैसी ही होती है जैसे किसी एक बच्चे के कई बाप का होना। नजूल की जमीन (सरल शब्दों में सरकारी जमीन) को सब अपनी बपौती समझते हैं। गरीब जनता की तो इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वह सरकारी जमीन पर कब्जा कर सके, लेकिन ताकतवर लोगों जिसमें नेताओं से लेकर बड़े–बड़े अधिकारी और बिल्डर आदि शामिल होते हैं, के लिये यह जमीन सोने का अंडा देने वाली मुर्गी साबित होती है। नजूल की जमीन पर कब्जा करने का सबसे आसान तरीका है उसे लीज पर हासिल कर लेना, क्योंकि जमीन का कोई मालिक नहीं होता है इसलिये सरकारी कुर्सी पर बैठे अधिकारी और बाबू ही इसके 'मालिक' बन जाते हैं। वह सेटिंग के सहारे नजूल की जमीन का 'सौदा' कर देते हैं। इसी लिये जब नजूल भूमि कानून विधान सभा से पास होने के बाद मंजूरी के लिये विधान परिषद पहुंचा तो वहां करीब–करीब सभी दलों के माननीयों ने एकजुट होकर इसे 'ठंडे बस्ते' में डाल दिया। यानी माननीय नहीं चाहते हैं कि नजूल जमीन के लिये कोई ऐसा नया कानून बनें जिसके चलते नजूल की जमीन को कौड़ियों के भाव फ्री होल्ड कराने का खेल बंद हो जाये।इस कानून को लेकर सत्ता पक्ष में मनमुटाव की खबरें आने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तो योगी सरकार को चुनौती तक दे दी वह नजूल जमीन पर नया कानून बना ही नहीं सकते हैं। वैसे विरोध समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कम नहीं हुआ था।

दरअसल, 31 जुलाई को यूपी विधानसभा में भारी हंगामे के बीच उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति (लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग) विधेयक, 2024 पारित किया गया था। इसके बाद जब पहली अगस्त को यह विधेयक विधान परिषद में आया तो इसे प्रवर समिति को भेज दिया गया। सबसे खास बात यह रही कि इस विधेयक का समाजवादी पार्टी के नेताओं के अलावा भाजपा के कई नेताओं ने विरोध किया है। वहीं एनडीए में भाजपा की सहयोगी निषाद पार्टी ने इससे असहमति जताई है। विधेयक के अनुसार, कानून लागू होने के बाद किसी भी नजूल भूमि को किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्था के पक्ष में पूरा मालिकाना हक हस्तांतरित करने पर रोक लग जाती। इसके बजाय, नजूल भूमि का इस्तेमाल सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए किया जाता। विधेयक में प्रस्ताव किया गया था कि नजूल भूमि को निजी व्यक्तियों या संस्थाओं को हस्तांतरित करने के लिए कोई भी अदालती कार्यवाही या आवेदन रद्द कर दिया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ये भूमि सरकारी नियंत्रण में रहे। कुल मिलाकर विधेयक का उद्देश्य नजूल भूमि प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना और अनधिकृत निजीकरण को रोकना बताया गया है।

बता दें उत्तर प्रदेश में लम्बे समय से नजूल की बेशकीमती जमीनों को कौड़ियों के भाव फ्री होल्ड कराने का खेल चल रहा है। लगभग दो

लाख करोड़ रुपये की इन सरकारी जमीनों को सर्किल रेट का केवल 10 फीसदी देकर फ्री होल्ड कराने की जद्दोजहद की जा रही है। इन जमीनों को निजी हाथों में जाने से बचाने के लिए लाया गया योगी सरकार का उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति–2024 विधेयक विधान परिषद में अटक गया,तो इससे कई ताकतवर लोगों ने राहत की सांस ली।

गौरतलब हो उत्तर प्रदेश में लगभग 25 हजार हेक्टेयर जमीन नजूल की है,जिसमें से कम से कम चार हजार एकड़ जमीन फ्री होल्ड कराई जा चुकी है और अब नजूल जमीनों के मालिकाना हक को लेकर 312 केस हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। करीब 2500 केस पाइप लाइन में हैं। इनसे जुड़ी जमीनों की कीमत लगभग दो लाख करोड़ रुपये है। ये जमीनें सबसे ज्यादा प्रयागराज, कानपुर, अयोध्या, सुल्तानपुर, गोंडा, बाराबंकी आदि में हैं। नजूल की जमीनों को फ्री होल्ड कराने का केंद्र प्रयागराज है। यहां लगभग पूरा सिविल लाइंस नजूल की जमीन पर है। एक–एक बंगला 100 से 250 करोड़ रुपये का है।इसी के चलते प्रयागराज निवासी और डिप्टी सीएम चाहते थे कि यह कानून पास हो जाये,लेकिन उन्हीं की पार्टी वालों ने इसका पलीता लगा दिया।

नजूल की जमीन के लिये कैसे खेल होता है,उसकी पूरी बानगी समझने के लिये बता दें कि किसी नजूल जमीन की कीमत सर्किल रेट के हिसाब से 50 करोड़ रुपये है तो इस जमीन का बाजार भाव 100 करोड़ होगा। लेकिन मौजूदा नजूल जमीन कानून के तहत इसे सर्किल रेट का केवल 10 फीसदी देकर फ्री होल्ड कराया जा रहा है। यानि वह व्यक्ति केवल पांच करोड़ रुपये में 100 करोड़ रुपये की जमीन का मालिक बन जाता है। जबकि खास बात यह है कि नजूल एक्ट में फ्री होल्ड का प्रावधान ही नहीं है, लेकिन अब तक कम से कम 25 फीसदी नजूल की जमीन को इस तरीके से फ्री होल्ड कराया जा चुका है।

नजूल की जमीन है क्या, यह इस तरह से समझा जा सकता है आजादी से पहले अंग्रेजी हुकूमत ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और लगान चुका पाने में

विफल लोगों की जमीनों को छीन लिया था। इसके बाद 1895 में गवर्नमेंट ग्रांड एक्ट के तहत ये जमीनें मामूली किराये पर अंग्रेजों ने लीज पर दे दीं। इनकी लीज अवधि 90 वर्ष तक थी। लीज पर दी गई इन जमीनों पर सरकार का मालिकाना हक कभी खत्म नहीं होता था।

ऐसी जमीनों को फ्री होल्ड से रोकने के लिए प्रदेश सरकार नजूल एक्ट लाई है। सरकार इस एक्ट के जरिए नजूल की जमीन को कौड़ियों के भाव फ्री होल्ड कराने के खेल पर रोक लगाना चाहती है। प्रस्तावित एक्ट के मुताबिक नजूल की जमीनों पर जो लोग रह रहे हैं, उन्हें नहीं छेड़ा जाना था तो वहीं गरीब और कमजोर लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था की भी बात कही गई थी। यानी उन्हें हटाया भी नहीं जाएगा। केवल बची जगह पर पार्किंग, पार्क, सरकारी संस्थान, सरकारी शिक्षण संस्थान, पीएम आवास योजना या अन्य सार्वजनिक उपयोग में लाने का प्रावधान किया गया था।

वहीं नजूल जमीन पर बसे बाजारों को बेहतर बनाने का प्रावधान था। नजूल एक्ट को देश के शीर्ष कानूनी विशेषज्ञों की राय से तैयार किया गया है। खैर, यह समझ लेना भी जरूरी है कि नजूल की जमीन को लेकर स्वतंत्र भारत के आज तक कोई नजूल एक्ट वजूद में ही नहीं था। मानसून सत्र में पहली बार यूपी में नजूल की जमीनों को लेकर विधेयक लाया गया। 1895 में ब्रिटिश सरकार गवर्नमेंट ग्रांड एक्ट लाई थी, जिसके तहत जमीन लीज पर देने का प्रावधान किया गया था। उस समय शहरों की तुलना में कृषि जमीनों की कीमत ज्यादा थी, इसलिए शहरी जमीनों के बड़े–बड़े टुकड़े अंग्रेजों ने लीज के रूप में दे दिए थे। आज हालात बदल गए हैं। वर्ष 2020 में इसी एक्ट को दोबारा पास कर दिया गया था। गवर्नमेंट ग्रांड एक्ट में ऑटोमेटिक रिन्यूअल का प्रावधान है, लेकिन उसमें रहने वाला जमीन का मालिक नहीं हो सकता। वह किसी तीसरे पक्ष को जमीन नहीं दे सकता। वह किसी तीसरे पक्ष के लिए जमीन दी गई है, उसके अलावा अन्य किसी उपयोग में लाने पर लीज को निरस्त किया जा सकता है।

नया नजूल भूमि एक्ट यह अमली जामा पहन लेता है तो इसके बाद उत्तर प्रदेश में किसी भी नजूल भूमि को किसी प्राइवेट व्यक्ति या प्राइवेट एंटिटी (संस्था या अन्य) के पक्ष में फ्रीहोल्ड (स्वामित्व) नहीं किया जा सकेगा। खाली पड़ी नजूल भूमि जिसकी लीज अवधि समाप्त हो रही है, उसे फ्रीहोल्ड न करके सार्वजनिक हित की परियोजनाओं जैसे अस्पताल, विद्यालय, सरकारी कार्यालय आदि का उपयोग के लिए किया जाएगा। नजूल भूमि विधेयक के अनुसार, ऐसे पट्टाधारक जिन्होंने 27, जुलाई 2020 तक फ्री होल्ड कि लिए आवेदन कर दिया है और निर्धारित शुल्क जमा कर दिया है, उनके पास विकल्प होगा कि वह लीज अवधि समाप्त होने के बाद अलगे 30 वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकरण करा सकें। बशर्ते, उनकी ओर से मूल लीज डीड का उल्लंघन न किया गया।

वक्फ बोर्ड की आड़ में जमीन कब्जाने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी

वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा करने एवं वहां गलत तरीके से व्यवसाय करने वालों को चिह्नित किया जायेगा और कार्रवाई होगी। वक्फ ट्रिब्यूनल में इसकी अपील की जा सकती है। शिया एवं सुन्नी वक्फ बोर्ड दोनों की संपत्तियों के दुरुपयोग की जांच होगी।

संजय सक्सेना, लखनऊ

वक्फ और वक्फ की संपत्तियों को लेकर हिंदुस्तान में अक्सर सही–गलत चर्चा होती रहती है। हममें से अधिकांश लोगों ने वक्फ का नाम तो सुना है, लेकिन वह इसके बारे में बहुत कुछ जानते नहीं हैं। वक्फ होता क्या है। किसी मस्जिद या दूसरे धर्मस्थल के वक्फ होने का मतलब क्या है? और क्या मोदी सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड के संविधान में तब्दीली की कोशिशों का असर मुस्लिम धर्मस्थलों के स्टेटस पर पड़ सकता है? चूंकि भारत में रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद सबसे बड़ा भूस्वामी वक्फ बोर्ड ही है। इसलिए हम इन सारे सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि भारत में इस्लाम की आमद के साथ वक्फ के उदाहरण मिलने लगे थे। दिल्ली सल्तनत के वक्त से वक्फ संपत्तियों का लिखित जिक्र मिलने लगता है। मुगल शासन काल में क्योंकि ज्यादातर संपत्ति राजा महाराजाओं के पास ही होती थी, इसीलिए प्रायः वही वाकिफ होते, और वक्फ कायम करते जाते। जैसे कई बादशाहों ने मस्जिदें बनवाईं, वो सारी वक्फ हुईं और उनके प्रबंधन के लिए

स्थानीय स्तर पर ही इंतजामिया कमेटियां बनती रहीं।

इसके पश्चात 1947 में आजादी के बाद पूरे देश में पसरी वक्फ संपत्तियों के लिए एक स्ट्रक्चर बनाने की बात उठने लगी। इस तरह 1954 में संसद ने वक्फ एक्ट 1954 पास किया। इसी के नतीजे में वक्फ बोर्ड बना। ये एक ट्रस्ट था, जिसके तहत सारी वक्फ संपत्तियां आ गईं। 1955 में यानी कानून लागू होने के एक साल बाद, इस कानून में संशोधन कर राज्यों के लेवल पर वक्फ बोर्ड बनाने का प्रावधान किया गया। इसके बाद साल 1995 में नया वक्फ बोर्ड एक्ट आया। 2013 में मनमोहन सरकार के समय इसमें कई संशोधन करके इसे पूरी तरह से तानाशाही रूप दे दिया गया। फिलहाल जो व्यवस्था है, वो इन्हीं कानूनों और संशोधनों के तहत चल रही है, इसमें सबसे खतरनाक संशोधन यह था कि वक्फ बोर्ड जिस किसी सम्पति को अपना बता दे तो फिर वह उसकी बिना किसी जांच पड़ताल के हो जाती है और जिसकी सम्पति छीनी जाती है,वह कोर्ट या पुलिस के पास भी अपनी फरियाद लेकर नहीं जा सकता है। प्रायः मुस्लिम धर्मस्थल वक्फ बोर्ड एक्ट के तहत ही आते हैं। लेकिन इसके अपवाद भी हैं। जैसे ये कानून अजमेर शरीफ दरगाह पर लागू नहीं होता। इस दरगाह के प्रबंधन के लिए दरगाह ख्वाजा साहिब एक्ट 1955 बना हुआ है.

वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्तियों पर अंकुश लगाने और बेहतर प्रबंधन व पारदर्शिता के लिए मोदी सरकार ने आठ अगस्त 2024 को लोकसभा में दो विधेयक पेश किये। पहले विधेयक के जरिये सरकार मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को समाप्त करने को कटिबद्ध लगती है, जबकि दूसरे से मुसलमान वक्फ अधिनियम 1995 में 44 संशोधन किए जाएंगे। सरकार इस विधेयक में बोहरा–आगाखानी के लिए अलग वक्फ बोर्ड का प्रावधान करेगी और किसी की संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने के अधिकार से संबंधित धारा 40 को समाप्त कर देगी।

मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक संसद में पेश करने से एक दिन पहले कहा कि विधेयक लाने का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन और संचालन करना है। विधेयक पेश किए जाने के बाद सरकार ने इसे व्यापक विमर्श और सर्वसम्मति के लिए प्रवर समिति को भेज दिया है। दूसरे विधेयक में वक्फ अधिनियम 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता विकास अधिनियम करने का प्रावधान है। इसमें वक्फ बोर्डों के केंद्रीय परिषद और ट्रिब्यूनल की संरचना में व्यापक बदलाव लाने का भी प्रावधान है। मसलन केंद्रीय परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में दो महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य बनाया जाएगा। इसके अलावा कानून में संशोधन के बाद अब वक्फ ट्रिब्यूनल के आदेश को 90 दिन के अंदर हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी।

वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण के लिए सर्वे कमिश्नर का अधिकार अब जिला कलेक्टर या उसके की ओर से नामित डिप्टी कलेक्टर के पास होगा।

विधेयक की खास बातों पर नजर डाली जाए तो मोदी सरकार वक्फ अधिनियम, 1923 को वापस लेगी। पारदर्शिता, बेहतर प्रबंधन और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए 44 संशोधन किये जायेंगे। जिसके द्वारा आगाखानी व बोहरा वक्फ को परिभाषित किया जाएगा। पांच साल तक मुस्लिम धर्म का पालन करने वालों की संपत्ति वक्फ हासिल कर सकेगा। वक्फ के धन से विधवा, तलाकशुदा व

विपक्षी दलों ने बिल पेश होने से पहले ही सरकार से आग्रह किया कि वक्फ (संशोधन) विधेयक को पेश किये जाने के बाद इस पर विचार करने के लिए संसद की स्थायी समिति को भेजा जाए। वहीं सरकार ने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की भावना का आकलन करने के बाद वह इस पर फैसला करेगी।

अनाथों के कल्याण के लिए सरकार के सुझाए तरीके से काम करने होंगे। संपत्ति वक्फ को देने के दौरान उत्तराधिकारियों और महिलाओं के अधिकार नहीं छीने जा सकेंगे। वहीं रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियों को 6 माह में पोर्टल पर डालना होगा। वक्फ संपत्तियों से मिलने वाले भू राजस्व, सेस, उसका रेट, कर, आय, कोर्ट मामले की जानकारी भी बतानी होगी। सरकारी संपत्ति को वक्फ अपनी संपत्ति घोषित नहीं कर पाएगा।

वक्फ बोर्ड में जो बदलाव होंगे उसके अनुसार मुसलमान वक्फ कानून 1923 खत्म होगा। वक्फ अधिनियम होगा एकीकृत वक्फ प्रबंधन कानून, धारा 40 होगी खत्म, जिससे किसी की संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने का अधिकार मिल जाता है। दरअसल, केंद्र की मोदी सरकार यूपीए–2 में मनमोहन सिंह सरकार ने 2013 में वक्फ अधिनियम में संशोधन कर वक्फ बोर्ड को किसी की भी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करने और वक्फ बोर्ड के निर्णयों को किसी भी कोर्ट में चुनौती देने का अधिकार खत्म करने जैसे बदलाव किए गए थे।

सरकारी सूत्रों के अनुसार तब से मुस्लिम समाज से जुड़े व्यक्तियों व संगठनों की करीब 60 हजार शिकायतें सरकार के पास लंबित हैं। इन सभी शिकायतों में वक्फ बोर्ड में भारी अनियमितता व जबरन संपत्ति पर कब्जा जैसी समान बातें थीं। संशोधन विधेयक में वक्फ परिषद में भी बदलाव का प्रावधान है। मसलन परिषद के अध्यक्ष अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री होंगे। तीन सांसद, मुसलमानों के तीन प्रतिनिधि, मुस्लिम कानून के तीन जानकार, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के दो पूर्व जज, एक वरिष्ठ वकील, देश की चार नामचीन हस्तियां व केंद्र सरकार के अतिरिक्त या संयुक्त स्तर के अधिकारी व दो महिलाएं इसकी सदस्य होंगी।

उधर, विपक्षी दलों ने बिल पेश होने से पहले ही सरकार से आग्रह किया कि वक्फ (संशोधन) विधेयक को पेश किये जाने के बाद इस पर विचार करने के लिए संसद की स्थायी समिति को भेजा जाए। वहीं सरकार ने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की भावना का आकलन करने के बाद वह इस पर फैसला करेगी। इसी क्रम में मोदी सरकार ने बहुचर्चित वक्फ अधिनियम में संशोधन वाला विधेयक लोकसभा में पेश करने के बाद विपक्ष की मांग पर ध्यान देते हुए उसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का जो फैसला लिया, वह इस दृष्टि से सही कदम है, क्योंकि इस समिति में उस पर विस्तार से और संभवतः दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विचार हो सकेगा। इससे सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि विपक्ष के पास यह बहाना नहीं रह जाएगा कि सरकार ने एक महत्वपूर्ण विधेयक बिना बहस आनन–फानन पारित करा लिया और उसकी कोई बात नहीं सुनी गई।

ध्यान रहे कि मोदी सरकार के पहले और दूसरे कार्यकाल में अनेक विधेयकों के संसद से पारित होने और उनके कानून में परिवर्तित हो जाने के बाद विपक्ष ने यह माहौल बनाया कि उन पर संसद में चर्चा नहीं होने दी गई। ऐसे कुछ कानूनों को लेकर जनता को बरगलाने का भी काम किया गया। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए और फिर कृषि संबंधी तीन कानूनों को लेकर विपक्ष ने अपने संकीर्ण राजनीतिक हितों के लिए किस तरह जनता को गुमराह किया। देखना है कि शीघ्र गठित होने वाली संयुक्त संसदीय समिति वक्फ संशोधन अधिनियम पर किस तरह विचार करती है और वह कोई आम सहमति कायम कर पाती है या नहीं? यह अब यक्ष प्रश्न होगा।

इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष

फिलिस्तीन की मांग है कि इजराइल वर्ष 1967 से पूर्व की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक सीमित हो जाए और वेस्ट बैंक तथा गाजा पट्टी में स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की स्थापना करे। साथ ही इजराइल को किसी भी प्रकार की शांति वार्ता में शामिल होने से पूर्व अपने अवैध विस्तार को रोकना होगा।

6 अक्टूबर इजरायल के लिए सबसे खतरनाक दिन के रूप में साबित हो चुका है। क्योंकि 6 अक्टूबर को हमास ने अचानक इसराइल पर हमला कर दिया और एक के बाद एक 5000 रॉकेट दागे इजरायल की सुरक्षा घेरे को तोड़कर बॉर्डर से लगे इलाकों में वह रोके घुस गए थे खबर के मुताबिक अब तक 1100 लोगों की जान जा चुकी है।

हमास और इजरायल के बीच होने वाली यह लड़ाई कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है इनके बीच सालों से यह लड़ाई चल रही है और पूरे खबरों में केवल एक ही सवाल गूंज रही है कि आखिर हम आज में 6 अक्टूबर की तारीख को ही क्यों चुना इन दोनों के बीच मसाला क्या है? तो चलिए आज आपको इसराइल और हमास के बीच की घटना को बताते हैं।

इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष इतिहास

इस संघर्ष की शुरुआत वर्ष 1917 में उस समय हुई जब तत्कालीन ब्रिटिश विदेश सचिव ऑथर्स जेम्स बालफोर ने बाल्फोर घोषणा के तहत फिलिस्तीन में एक यहूदी राष्ट्रीय घर के निर्माण के लिए ब्रिटेन का आधिकारिक समर्थन किया था। परंतु इसमें मौजूद गैर यहूदी समुदायों के अधिकारों के संबंध में कोई चिंता व्यक्त नहीं की गई थी। उदाहरण स्वरूप इस क्षेत्र में अब समुदाय लंबे समय से हिंसक गतिविधियों में संलग्न थे। अब और यहूदी हिंसा को समाप्त करने में असफल रहे ब्रिटेन ने वर्ष 1948 में फिलीस्तीन से अपने सुरक्षा बलों को हटा लिया और अरब तथा यहूदियों के दावों का समर्थन करने के लिए इस मुद्दे

को नवनिर्मित संगठन संयुक्त राष्ट्र के विचारार्थ रख दिया था। संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन में स्वतंत्र यहूदी और अरब राज्यों की स्थापना करने के लिए एक विभाजन योजना प्रस्तुत की। हालांकि फिलिस्तीन में रह रहे कई यहूदियों ने तो इस विभाजन को स्वीकार कर लिया परंतु अधिकांश अर्बन ने इस पर अपनी सहमति प्रकट नहीं की। वर्ष 1948 में यहूदियों ने इजरायल के आसपास के स्वतंत्र अरब देशों पर आक्रमण की घोषणा की थी। परंतु युद्ध के अंत में इजराइल में संयुक्त राष्ट्र की विभाजन योजना के आदेश अनुसार प्राप्त भूमि से भी अधिक भूमि पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इस युद्ध के पश्चात जॉर्डन ने वेस्ट बैंक व जेरूसलम के पवित्र स्थान पर तथा मिश्रा ने गाजा पट्टी पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था।

कब और क्यों दोनों देशों में लड़ाई हुई

'यह कहानी करीबन 50 साल पहले की है जब 6 अक्टूबर 1973 को अरब मुल्कों के संगठन में ठीक इसी तरह इजराइल पर अचानक हमला कर दिया था। उस दिन यहूदियों का सबसे पवित्र त्यौहार था। इसराइल त्यौहार के जश्न में डूबा था, और अचानक हुए इस हमले से दंग रह गया। बाद में इजरायल ने पलट कर वार किया करीबन 20 दिन तक चली इस लड़ाई में अरब मुल्कों की हालत खराब हो गई थी, इस लडाई को योम किप्पूर वॉर के नाम से जाना जाता है। 1967 में भी अरब देशों के गठबंधन ने ठीक इसी तरह इजराइल के खिलाफ

फिलिस्तीनी लोग ऐतिहासिक फिलिस्तीन के कम से कम एक हिस्से में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करना चाहते हैं। इजरायल द्वारा अपनी सीमाओं की रक्षा, पश्चिमी तट पर नियंत्रण, गाजा पट्टी पर मिस्र-इजरायल की नाकाबंदी और फिलिस्तीनी आंतरिक राजनीति के कारण वर्तमान में फिलिस्तीनियों का लक्ष्य पहुंच से बाहर है।

युद्ध छेड़ दिया था गठबंधन में इजिप्ट सीरिया जॉर्डन इराक सऊदी और कुवैत शामिल थे, लेबनान पाकिस्तान भी इस गठबंधन के साथ खड़े थे दूसरी तरफ इसराइल अकेला मैदान में था। 6 दिनों तक चली इस लड़ाई में इजरायल ने अकेले सबको हरा दिया था पहले के मुताबिक कहीं ज्यादा जमीन उसके कब्जे में आ गई थी। जॉर्डन को पूर्वी येरूसलम और वेस्ट बैंक से हाथ धोना पड़ा था तो सीरिया को गुलाम हाइट्स गंवाना पड़ा था इस लड़ाई को सिक्स द वार के नाम से जाना जाता है।

1967 मैं अरब इजरायल युद्ध के 6 दिनों की साम्यवादी में इजरायली सेना ने सीरिया के गोलन हाइट्स जॉर्डन के वेस्ट बैंक तथा पूर्वी यरुशलम को अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया। 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलीस्तीन मुक्ति संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया और फिर स्त्रियों के आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता प्रदान की। 1978 में इजरायल और इसके पड़ोसियों के मध्य शांति वार्ता करने के उद्देश्य से अमेरिका द्वारा मध्य पूर्व में शांति की स्थापना के लिए एक ढांचा तैयार किया गया तथा फिलिस्तीन समस्या के समाधान हेतु एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। हालांकि यह कार्य पूर्ण नहीं हो सका। 1981 में इसराइल ने प्रभावी रूप से गोलन हाइट्स पर अधिकार कर लिया परंतु इसके पश्चात भी इसे ब्रिटेन अथवा अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई। 1987 में हमास का गठन हुआ। यह मुस्लिम भाईचारे की मांग हेतु फिलिस्तीन का एक हिंसक संगठन है इसका गठन हिंसक जिहाद के माध्यम से फिलिस्तीन के प्रत्येक भाग पर मुस्लिम धर्म का विस्तार करने के उद्देश्य से किया गया था। 1987 में ही पश्चिमी किनारे और गांजा पेट के अधिग्रहित किए गए क्षेत्र में तनाव व्याप्त हो गया जिसके परिणाम स्वरुप फिलिस्तीन विद्रोह हुआ यह विद्रोह फिलिस्तीन सैनिकों और इजरायली सेवा के मध्य एक छोटे युद्ध में परिवर्तित हो गया था। 1993 में ओस्लो समझौता के अंतर्गत इसराइल और फिलीस्तीन मुक्ति संगठन ने एक दूसरे को आधिकारिक मान्यता देने तथा हिंसक गतिविधियों को त्यागने पर अपनी सहमति प्रकट की थी उसको समझौता के तहत एक खाली स्थान प्राधिकरण की भी स्थापना की गई थी हालांकि इस प्राधिकरण को गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के भागों में सीमित स्वायत्त भी प्राप्त हुई थी। 2005 में इजरायल ने कहा कि बस्तियों से यहूदियों को एक तरफ वापसी कराई इसके बावजूद इसराइल ने सभी नाकाबंदियों पर कठोर नियंत्रण भी बनाए रखा। 2012 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलीस्तीन के प्रतिनिधित्व को गैर सदस्य पर्यवेक्षक राष्ट्रीय में परिवर्तित कर दिया था 2014 में इजरायल ने अनेक हमास सदस्यों को गिरफ्तार करके वेस्ट बैंक में अप्रियत अपने तीन यहूदी नवयुवकों की मौत का प्रतिशोध किया। वही 2014 में ही फतेह और हमास ने एक संयुक्त सरकार का गठन किया युद्ध पर इन दोनों गुटों के मध्य अभी भी विश्वास बना हुआ है।

भारत के ये दो प्रधानमंत्री नहीं फहरा सके स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से झंडा

भारत देश 15 अगस्त को अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराएंगे। हालांकि भारतीय राजनीति के इतिहास में दो प्रधानमंत्री ऐसे भी हुए हैं, जो पीएम होते भी लाल किले की प्राचीर से झंडा नहीं फहरा सके।

भारत देश हर साल 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। यह स्वतंत्रता दिवस उन शहीद क्रांतिकारियों की याद दिलाता है, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 15 अगस्त 2024 को भारत 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर तिरंगा फहराया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में ऐसे भी दो प्रधानमंत्री हुए हैं, जो प्रधानमंत्री होते हुए भी लाल किले की प्राचीर से भारत का झंडा नहीं फहरा पाए।

इन दो प्रधानमंत्रियों ने नहीं फहराया झंडा

स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से झंडा फहराया जाता है। हालांकि भारत के इतिहास में गुलजारीलाल नंदा और चंद्रशेखर ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं, जो प्रधानमंत्री रहते हुए भी लाल किले की प्राचीर से भारत का झंडा नहीं फहरा पाए। दरअसल इसका कारक उनका अल्प कार्यकाल था। दोनों प्रधानमंत्री कार्यकाल कम होने की वजह से लाल किले से तिरंगा नहीं फहरा सके।

गुलजारीलाल नंदा दो बार रहे प्रधानमंत्री

भारतीय राजनीति के इतिहास में गुलजारीलाल नंदा दो बार प्रधानमंत्री बने। हालांकि दोनों बार उनका कार्यकाल मात्र 13–13 दिनों का रहा। उन्होंने पहली बार 27 मई 1964 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और 9 जून 1964 तक उनका कार्यकाल चला. वहीं दूसरी बार वह 11 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री बने। इस बार भी उनका कार्यकाल सिर्फ 13 दिन का रहा और 24 जनवरी 1966 को उन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसका कारण यह था कि वह दोनों बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे।

6 महीने के कार्यकाल के बाद भी चंद्रशेखर नहीं फहरा सके झंडा

भारत के 8वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने 6 महीने तक प्रधानमंत्री पद संभाला। दरअसल 90 के दशक में देश में राजनीतिक अस्थिरता थी। ऐसे कठिन समय में उन्होंने 10 नवबंर 1990 को कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई। हालांकि यह सरकार ज्यादा समय तक नहीं चल सकी और 6 महीने के अंदर उन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। चंद्रशेखर ने 21 जून 1991 को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया और इस दौरान अगस्त माह आया ही नहीं, जिसके चलते वह लाल किले से तिरंगा नहीं फहरा पाए।

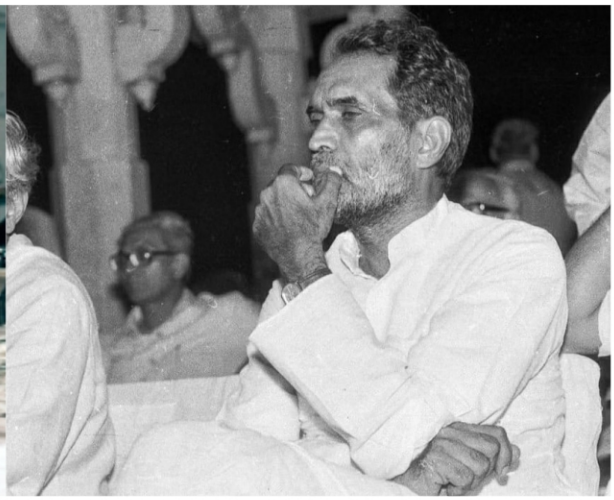

यूपी में दस नए राष्ट्रीय मार्ग बनेंगे, योगी ने नितिन गडकरी के समक्ष रखा प्रस्ताव

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ हुई बैठक में यूपी के लिए 10 राष्ट्रीय मार्ग (कॉरिडोर) बनाने का प्रस्ताव रखा। राष्ट्रीय राजमार्गों की जरूरतों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यूपी में अधिकांश राष्ट्रीय राजमार्ग पूरब से पश्चिम अथवा पश्चिम से पूरब को जोड़ने वाले हैं। उत्तर से दक्षिण को जोड़ते हुए नये राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की जरूरत है। उन्होंने दस नए राष्ट्रीय मार्ग बनाने का प्रस्ताव रखा। जिसमें कुछ कॉरिडोर यूपी, नेपाल, राजस्थान, झारखंड, मध्यप्रदेश और उत्तराखंड को जोड़ने वाले हैं।

मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के काशीपुर–मुरादाबाद–अलीगढ़– मथुरा–भरतपुर तक राष्ट्रीय मार्ग बनाने की बात कही। यह कारिडोर आगरा एक्सप्रेस–वे को भी जोड़ेगा। इसी प्रकार मुरादाबाद– चंदौसी–बदायूं–फर्रुखाबाद–छिबरामऊ–सौरिख मार्ग (लंबाई 270 किमी.) तक दूसरा कॉरिडोर बनाने का सुझाव दिया। यह कॉरिडोर गंगा एक्सप्रेस वे के साथ फर्रुखाबाद से आगरा एक्सप्रेस–वे से भी जोड़ने का सुझाव दिया गया। वहीं मथुरा में पंचकोशी मार्ग को कॉरिडोर के रूप में विकसित करने पर पैसेंजर कार यूनिट (पीसीयू) कम होने की बात सामने आई। जिस पर तय हुआ कि इसके लिए अध्ययन किया जाएगा।

एनएच का काम पूरा होने से पहले टोल पर जताई आपत्ति

मुख्यमंत्री ने राजमार्गों का काम शेष रहने पर भी टोल की वसूली शुरू कर दिए जाने पर आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि ऐसा होने से सरकार को किसानों व ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को आश्वस्त किया कि राष्ट्रीय राजमार्गों के क्रियान्वयन में जो व्यवधान हैं, उनका प्रदेश में समयबद्ध ढंग से समाधान किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया एवं मुआवजा वितरण को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।

11500 किमी और राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार हो

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में मांग की कि यूपी में राजमार्गों को राष्ट्रीय औसत के स्तर पर लाने के लिए 11 हजार 500 किमी और राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने होंगे। उन्होंने 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ से संबंधित परियोजनाओं, जिसमें प्रयागराज रिंग रोड भी शामिल है, को भी दिसंबर 2024 तक पूरा करने की बात कही। वहीं 14 जिलों में नये बाईपास बनाने का प्रस्ताव रखा गया है।

पूरी दुनिया में गदर मचा रहा है, इस्लामिक देशों के बीच बसा इजरायल

ये देश क्षेत्रफल में भारत से 150 गुना छोटा है। भारत और अमेरिका से इस देश के दोस्ताना संबंध हैं तो वहीं मुस्लिम देशों की आंखों में ये देश चुभ रहा है।

पूरी दुनिया में मुस्लिम देशों की संख्या सबसे ज्यादा है। आधिकारिक तौर पर ऐसे 57 देश हैं जो खुद को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर चुके हैं। इस धरती पर दुनिया के नक्शे पर सभी 5 महाद्वीपों में मुस्लिम देश बसे हुए हैं। एक आंकड़े के मुताबिक दुनिया की 60 प्रतिशत से ज्यादा मुस्लिम आबादी एशियाई देशों में बसी हुई है। लगभग 20 प्रतिशत आबादी मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में है। हालांकि मिडिल ईस्ट और उत्तरी अफ्रीका में मुस्लिम देशों की संख्या ज्यादा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मिडिल ईस्ट में बसे मुस्लिम देशों के बीचों–बीच एक गैर मुस्लिम देश बसा है। जिसने इन दिनों पूरी दुनिया में गदर मचाया हुआ है और इसके चलते कुछ देशों को छोड़कर ये सारे मुस्लिम देश समेत पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो गई है। क्योंकि इस देश ने एक मुस्लिम देश में जंग छेड़ी हुई है। अब तो आप इसका नाम जान गए होंगे३अगर नहीं तो आपको बताते हैं कि ये देश है इजरायल। जी हां इजरायल ही वो देश है जो गैर इस्लामिक है और चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है।

सबसे शक्तिशाली और ताकतवर देशों में होती है गिनती

इजरायल भले ही क्षेत्रफल में छोटा देश हो लेकिन इसकी पहुंच बहुत ऊंची है। अमेरिका तक इजरायल का खास दोस्त माना जाता है और भारत के संबंध भी इजरायल से काफी दोस्ताना है। इजरायल का क्षेत्रफल 22,072 वर्ग किमी है यानी भारत से 150 गुना कम। सैन्य शक्ति के मामले में इजरायल इस साल 11 वें नंबर पर है, वहीं बीते साल ये चौथे नंबर पर था।

किन देशों के बीच है इजरायल

इजरायल मिडिल ईस्ट (मध्य–पूर्व) में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर बसा हुआ है। इसकी सीमा चारों तरफ से मुस्लिम देशों से लगती है। इजरायल मुस्लिम देश लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र से अपनी सीमाएं साझा करता है। एक और बात जो इसे खास बनाती है वो ये कि ये देश तीन महाद्वीपों के संगम पर बसा है। यूरोप, एशिया और अफ्रीका।

कौन सा धर्म मानता है इजरायल

इजरायल ने खुद को एक यहुदी देश घोषित किया हुआ है। यहां पर यहूदी बहुसंख्यक हैं। यहां पर मुसलमान भी रहते हैं। यहां पर 73.6% यहूदी, 18.1% मुस्लिम, 1.9% ईसाई और 1.6% ड्रूज आबादी है।

कई रिपोर्ट्स ऐसा दावा करती हैं कि इजरायल एक परमाणु संपन्न देश है और अपनी ताकत के दम पर ही वो इतने शक्तिशाली देश बना है। गाजा में हमास को खत्म करने के लिए इजरायल ने जो युद्ध छेड़ा हुआ है उसे 8 महीने हो गए हैं। गाजा के स्वास्थ्य विभाग के दी जानकारी के मुताबिक इस युद्ध में 40 हजार फिलीस्तीनी नागरिक मारे जा चुके हैं। वहीं हमास का चीफ भी मारा जा चुका है।

यूपी सरकार अब इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी माफ करेगी पंजीकरण शुल्क

8–10 फीसदी तक कम हो जाएगी कीमत, हाइब्रिड कारों पर पहले से ही जारी है छूट

यूपी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इस पर लगने वाला पंजीकरण शुल्क माफ करने का फैसला लिया गया है। इससे गाड़ियों की कीमत कम हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में ईवी पालिसी के तहत हाइब्रिड वाहनों के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर भी पंजीकरण शुल्क माफ करने की तैयारी है। प्रदेश में अभी 8–10 फीसदी पंजीकरण शुल्क है। इस संबंध में आदेश जारी होने के बाद हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत 4 लाख रुपये तक कम हो जाएगी।

रविवार को प्रमुख भारतीय वाहन निर्माताओं के साथ मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की इस संबंध में बैठक हुई थी। बैठक में परिवहन सहित औद्योगिक विकास के अधिकारी मौजूद थे। वाहन कंपनियों को स्पष्ट किया गया कि प्लग–इन और मजबूत हाइब्रिड कारों पर पंजीकरण शुल्क पर छूट को रद करने की कोई योजना नहीं है। मालूम हो कि पांच जुलाई को प्रदेश सरकार ने प्लग–इन हाइब्रिड कारों पर 8–10 फीसदी रजिस्ट्रेशन टैक्स माफ करने का आदेश जारी किया था। इससे इन कारों की ऑन–रोड कीमत 4 लाख रुपये तक कम हो गई थी।

बैठक में आठ कंपनियों टाटा मोटर्स, हुंडई, किआ, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, टोयोटा, होंडा और बजाज के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया सूत्रों के मुताबिक वाहन कंपनियों को बताया गया कि प्लग–इन और हाइब्रिड कारों को दिए गए प्रोत्साहन का उद्देश्य आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) वाहनों को बदलना है न कि इलेक्ट्रिक कारों को। एक वाहन कंपनी अधिकारी के मुताबिक पंजीकरण शुल्क पर छूट हाइब्रिड और ईवी के लिए अलग हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक बैठक के

दौरान टाटा मोटर्स, हुंडई, किआ और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने पांच जुलाई के आदेश का विरोध किया और दलील दी कि यूपी भारत का सबसे बड़ा कार बाजार है। यूपी को ईवी वाहनों को ज्यादा राहत देना चाहिए। केवल हाईब्रिड वाहनों को छूट देने से इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट पर गंभीर असर पड़ेगा। इन कंपनियों ने सुझाव दिया कि पांच जुलाई के आदेश को हाइब्रिड सहित सभी ग्रीन प्रौद्योगिकियों तक बढ़ा दिया जाए। एक वाहन कंपनी के अधिकारी के मुताबिक मुख्य सचिव ने कहा कि यूपी की ईवी नीति पेट्रोल और डीजल वाहनों को बदलने के लिए हाइब्रिड और ईवी दोनों वाहनों बढ़ावा देने के लिए है। इस पर फोकस करते हुए कहा कि यूपी की ईवी नीति हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों दोनों का समर्थन करेगी।

भारत के ये दो प्रधानमंत्री नहीं फहरा सके स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से झंडा

भारत देश 15 अगस्त को अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराएंगे। हालांकि भारतीय राजनीति के इतिहास में दो प्रधानमंत्री ऐसे भी हुए हैं, जो पीएम होते भी लाल किले की प्राचीर से झंडा नहीं फहरा सके।

भारत देश हर साल 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। यह स्वतंत्रता दिवस उन शहीद क्रांतिकारियों की याद दिलाता है, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 15 अगस्त 2024 को भारत 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर तिरंगा फहराया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में ऐसे भी दो प्रधानमंत्री हुए हैं, जो प्रधानमंत्री होते हुए भी लाल किले की प्राचीर से भारत का झंडा नहीं फहरा पाए।

इन दो प्रधानमंत्रियों ने नहीं फहराया झंडा

स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से झंडा फहराया जाता है। हालांकि भारत के इतिहास में गुलजारीलाल नंदा और चंद्रशेखर ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं, जो प्रधानमंत्री रहते हुए भी लाल किले की प्राचीर से भारत का झंडा नहीं फहरा पाए। दरअसल इसका कारक उनका अल्प कार्यकाल था। दोनों प्रधानमंत्री कार्यकाल कम होने की वजह से लाल किले से तिरंगा नहीं फहरा सके।

गुलजारीलाल नंदा दो बार रहे प्रधानमंत्री

भारतीय राजनीति के इतिहास में गुलजारीलाल नंदा दो बार प्रधानमंत्री बने। हालांकि दोनों बार उनका कार्यकाल मात्र 13–13 दिनों का रहा। उन्होंने पहली बार 27 मई 1964 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और 9 जून 1964 तक उनका कार्यकाल चला. वहीं दूसरी बार वह 11 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री बने। इस बार भी उनका कार्यकाल सिर्फ 13 दिन का रहा और 24 जनवरी 1966 को उन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसका कारण यह था कि वह दोनों बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे।

6 महीने के कार्यकाल के बाद भी चंद्रशेखर नहीं फहरा सके झंडा

भारत के 8वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने 6 महीने तक प्रधानमंत्री पद संभाला। दरअसल 90 के दशक में देश में राजनीतिक अस्थिरता थी। ऐसे कठिन समय में उन्होंने 10 नवबंर 1990 को कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई। हालांकि यह सरकार ज्यादा समय तक नहीं चल सकी और 6 महीने के अंदर उन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। चंद्रशेखर ने 21 जून 1991 को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया और इस दौरान अगस्त माह आया ही नहीं, जिसके चलते वह लाल किले से तिरंगा नहीं फहरा पाए।

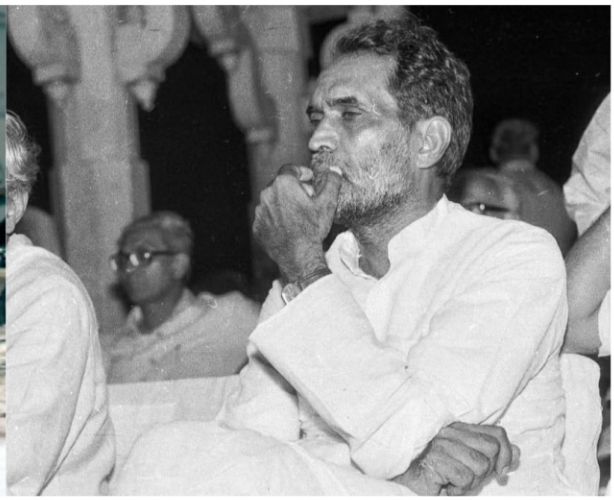

मेरा पन्ना

कवयित्री प्रज्ञा श्रीवास्तव प्रज्ञाञ्जलि

मुझको भी तो जीने दो

जीवन है कितना सुंदर
मुझको भी तो जीने दो
माँ की कोख, मुझे भी प्यारी
दुलार पिता का पाने दो
मैं भी तो हूँ अंश तुम्हारा
फिर भैया ही क्यों लगता प्यारा
बेटी हूँ तो, क्या मुझको
अधिकार नही है जीने का
बेटे बेटी का भेद अभी भी
बहुत अधिक है गहराया
भेद मिटा दो ऐसे तुम
अधिकार मुझे दो जीने का
अधिकार मुझे दो जीने का।

आर.एन.आई. नं.- RAJHIN/2019/77486

प्रकाशन की तिथि- प्रत्येक माह की 7 तारीख
प्रेषण दिनांक- प्रत्येक माह की 10 तारीख

विभिन्न विषयों पर आधारित हिन्दी मासिक पत्रिका

तीर निशाने पर

"विशिखा

पत्रिका पाने के लिए सम्पर्क करें

सदस्यता शुल्क	मूल्य प्रति कापी मात्र 25/- रुपये
	एक वर्ष के लिये मात्र 275/- रुपये
	दो वर्ष के लिये मात्र 550/- रुपये

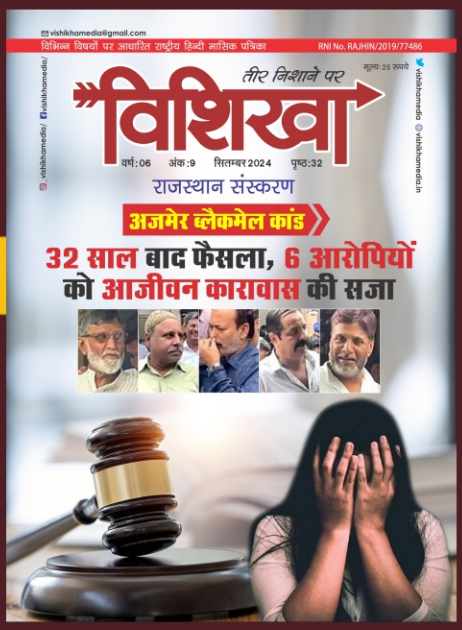

Paytm 9587455444

BANK DETAILS-
A/C No. - 6345002100000139
IFSC Code- PUNB0634500
A/C Off- VISHIKHA MEDIA
Bank - Punjab National Bank
Branch - NRI Circle, JAIPUR

विशिखा में विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें

पृष्ठ श्रेणी	कलर	अमाउंट
बैक फुल पेज	फोरकलर	₹ 50,000/-
फ्रंट व बैक इनर फुल पेज	फोरकलर	₹ 30,000/-
अन्य फुल पेज	फोरकलर	₹ 20,000/-

विशिखा तीर निशाने पर

मुख्यालय : विशिखा मीडिया 191/56, सेक्टर-19, प्रताप नगर, सांगानेर
जयपुर-302033 (राज.)
Contactus:+911413562171,9587455444
E-mail:vishikhamedia@gmail.com | Website:www.vishikhamedia.in
vishikhamedia/ _vishikhamedia/ vishikhamedia